

परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1)

| राज्य प्रोफाइल | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| क. सामान्य डाटा | | | | | | |
| क्र.सं. | विवरण | | | | आंकड़े | |
| 1 | क्षेत्र | | | | 44,212 वर्ग कि.मी. | |
| 2 | जनसंख्या | | | | | |
| | क | 2001 की जनगणना के अनुसार | | | 2.11 करोड़ | |
| | ख | 2011 की जनगणना के अनुसार | | | 2.54 करोड़ | |
| 3 | जनसंख्या घनत्व ¹ (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.) | | | | 573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. | |
| 4 | गरीबी रेखा ² से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत) | | | | 11.20 प्रतिशत | |
| 5 | साक्षरता ³ (2011) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत) | | | | 75.60 प्रतिशत | |
| 6 | शिशु मृत्यु-दर ⁴ (अखिल भारतीय औसत=33 प्रति 1000 सजीव जन्म) | | | | 30 | |
| 7 | जन्म ⁵ पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=68.7 वर्ष) | | | | 69.4 वर्ष | |
| 8 | गिनी को-एफिशिएंट ⁶ | | | | | |
| | क | ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29) | | | 0.30 | |
| | ख | शहरी (अखिल भारतीय= 0.38) | | | 0.36 | |
| 9 | वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2018-19 ⁷ | | | | ₹ 7,07,126 करोड़ | |
| 10 | प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की | | हरियाणा | 11.58 प्रतिशत | | |
| 11 | सी.ए.जी.आर. | | सामान्य श्रेणी राज्य | 10.99 प्रतिशत | | |
| 12 | (2011-12 से 2018-19) | | अखिल भारतीय | 10.35 प्रतिशत | | |
| 13 | स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. | | हरियाणा | 13.16 प्रतिशत | | |
| 14 | (2011-12 से 2018-19) | | सामान्य श्रेणी राज्य | 12.23 प्रतिशत | | |
| 15 | हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2009 से 2019) | | | | 16.12 प्रतिशत | |
| 16 | सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या ⁸ वृद्धि (2009 से 2019) | | | | 12.46 प्रतिशत | |
| 17 | मानव विकास इंडेक्स ⁹ | | हरियाणा (रैंक 9) | 0.552 | | |
| 18. | (2007-08) | | अखिल भारतीय | 0.467 | | |
| ख वित्तीय आंकड़े | | | | | | |
| विवरण | | | आंकड़े (प्रतिशत में) | | | |
| सी.ए.जी.आर | | | 2009-10 से 2017-18 | | 2017-18 से 2018-19 | |
| | | | सामान्य श्रेणी राज्य | हरियाणा | सामान्य श्रेणी राज्य | हरियाणा |
| क | राजस्व प्राप्तियों का | | 15.03 | 14.66 | 12.77 | 5.09 |
| ख | स्वयं के कर राजस्व का | | 14.84 | 15.23 | 12.72 | 3.61 |
| ग | कर-भिन्न राजस्व का | | 9.88 | 16.20 | 19.78 | (-) 12.48 |
| घ | कुल व्यय का | | 14.20 | 13.82 | 12.73 | 5.70 |
| ड | पूँजीगत व्यय का | | 13.53 | 12.66 | 11.93 | 13.07 |
| च | शिक्षा पर राजस्व व्यय का | | 13.44 | 10.75 | 9.38 | 7.54 |
| छ | स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का | | 16.50 | 14.76 | 11.09 | 19.65 |
| ज | वेतन एवं मजदूरियों का | | 11.72 | 10.41 | 11.03 | 6.07 |
| झ | पेंशन का | | 16.12 | 17.67 | 14.31 | (-) 7.32 |

1 जनगणना सूचना भारत 2011 अंतिम जनसंख्या कुल।
2 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (जुलाई 2019), खण्ड-II पृष्ठ क 168-169
3 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (जुलाई 2019), खण्ड-II पृष्ठ क 164
4 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (जुलाई 2019), खण्ड-II पृष्ठ क 170-171
5 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (जुलाई 2019), खण्ड-II पृष्ठ क 170-171
6 http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf.
7 सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी।
8 भारतीय जनगणना 2001 (जनसंख्या प्रसार 2001-2026, तालिका 14, पृष्ठ 104-115)
9 आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (जुलाई 2019), खण्ड-II पृष्ठ क 168-169

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्केट ऋण, बॉण्ड्स, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, आदि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों के वसूली में प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। उपरोक्त निधि से विनियोजन केवल कानून के अनुसार तथा भारतीय संविधान में दिए गए प्रयोजनों तथा पद्धति के अनुसार किया जा सकता है। व्यय की कुछ मर्दे (उदाहरणार्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भारित रहती हैं (भारित व्यय) तथा विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं होतीं। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए विधानसभा द्वारा वोट अनिवार्य हैं।

समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों अर्थात् 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' और 'सहायतानुदान तथा अंशदानों' में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टरज में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएं', आदि में विभाजित हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन आगे सैक्टर या सब-सैक्टर में विभाजित नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार सैक्टरों में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन से ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं जैसे 'राज्य के अंग', 'शिक्षा', खेल, कला तथा संस्कृति', आदि। पूंजीगत व्यय सैक्शन आठ भागों में विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को हस्तांतरण'।

भाग II: आकस्मिक निधि: यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून द्वारा स्थापित है। यह निधि राज्यपाल की डिस्पोजल पर रहती है ताकि अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम जारी किये जा सकें, जो कि राज्य विधानसभा से प्राधिकृत करवाना वांछित होता है। फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्ष में व्यय को डेबिट करके की जाती है। 2018-19 में हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ थी।

भाग III: लोक लेखा: अन्य सभी लोक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुनर्भुगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष हैं फाइनेल बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेंस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छः सैक्टर यानि 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'कैश बैलेंस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अधीन नहीं है।

| परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास | |
|---|--|
| विवरण | विन्यास |
| | वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, 13 विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड-II में 13 विवरणियों के विवरण नीचे दिए गए हैं: |
| विवरण सं. 1 | वित्तीय स्थिति की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के वर्ष के अंत में आंकड़े चित्रित करती है तथा गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना करती है। |

| परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास | |
|---|---|
| विवरणी | विन्यास |
| विवरणी सं. 2 | प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी: यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के कैश बैलेंसिज (निवेशों सहित) के चित्रण के लिए इसमें एक अतिरिक्त परिशिष्ट शामिल है। परिशिष्ट सरकार की अर्थापय स्थिति को भी विस्तार से प्रकट करता है। |
| विवरणी सं. 3 | प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि): इस विवरणी में राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों की प्राप्तियां शामिल रहती हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण वित्त लेखों के खंड-2 में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 में शामिल रहते हैं। |
| विवरणी सं. 4 | व्यय की विवरणी (समेकित निधि): वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण से पृथक, यह विवरणी, व्यय का विवरण गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) के अनुसार देती है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण वित्त लेखों के खंड-2 में विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 में शामिल रहते हैं। |
| विवरणी सं. 5 | प्रगतिशील पूंजीगत व्यय की विवरणी: यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 के अनुरूप है। |
| विवरणी सं. 6 | उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी: सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'जमा' शामिल हैं। विवरणी में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी शामिल है तथा भाग-II में विस्तृत विवरणी-17 का अनुरूप है। |
| विवरणी सं. 7 | सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-18 का अनुरूप है। |
| विवरणी सं. 8 | सरकार के निवेशों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की इक्विटी में राज्य सरकार के निवेशों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-19 का अनुरूप है। |
| विवरणी सं. 9 | सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है जो सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठाये गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दी गई हैं। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-20 का अनुरूप है। |
| विवरणी सं. 10 | सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदानों को चित्रित करती है जो कि विभिन्न श्रेणियों के प्राप्तकर्ताओं जैसे सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियां, स्वायत्त तथा अन्य निकाय/प्राधिकरण तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किये गए हैं। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करता है। |
| विवरणी सं. 11 | दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी: यह विवरणी विनियोजन लेखाओं के सकल आंकड़ों और वित्त लेखाओं के निवल आंकड़ों के मिलान में सहायता करती है। |
| विवरणी सं. 12 | राजस्व लेखे से पृथक व्यय हेतु निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की विवरणी: यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ही वहन किया जाना चाहिए और वार्षिक पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा राशियों, वर्ष के आरंभ में नकद शेष तथा उधारों से वहन किया जाना चाहिए। |
| विवरणी सं. 13 | समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सार: यह विवरणी लेखाओं को परिशुद्धता प्रदान करने में सहायता करती है। विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 का अनुरूप है। |

| परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास | |
|---|---|
| विवरणी | विन्यास |
| खंड-II में दो भाग शामिल हैं-भाग I में नौ विस्तृत विवरणियां तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं जैसा कि नीचे दिए गए हैं: | |
| खंड-II का भाग-I | |
| विवरणी सं. 14 | लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-I में सार विवरणी-3 का अनुरूप है। |
| विवरणी सं. 15 | लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो खंड-I में सार विवरणी 4 का अनुरूप है, के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय का विवरण प्रदान करती है, जिसमें राज्य की निधि से व्यय तथा केंद्रीय सहायता (केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा केंद्रीय स्कीमों सहित), भारित तथा दत्तमत व्यय को अलग से दर्शाया जाता है। |
| विवरणी सं. 16 | लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी 5 का अनुरूप है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयित) चित्रित करती है। इसमें राज्य की निधि से व्यय तथा केंद्रीय सहायता (केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों तथा केंद्रीय स्कीमों सहित), भारित तथा दत्तमत व्यय को अलग से दर्शाया जाता है। पूंजीगत व्यय के विवरण को लघु शीर्ष के स्तर तक निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में उपशीर्ष स्तरों तक के विवरण चित्रित करती है। |
| विवरणी सं. 17 | उधारों तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी इस खंड के भाग-I में सार विवरणी-6 का अनुरूप है। इसमें राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋणों (मार्किट ऋण, बॉन्ड्स, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के विवरण शामिल हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है: (क) प्रत्येक ऋण का विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि प्रत्येक श्रेणी ऋणों के संबंध विभिन्न वर्षों में पुनर्भुगतान की राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल। |
| विवरणी सं. 18 | सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी भाग-I में विवरणी-7 के अनुरूप है। |
| विवरणी सं. 19 | सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी साम्या-वार निवेश और मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विवरणी 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-8 के अनुरूप है। |
| विवरणी सं. 20 | सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी इकाई वार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी का विवरण प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-9 के अनुरूप है। |
| विवरणी सं. 21 | आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-I में विवरणी-13 के अनुरूप है। |
| विवरणी सं. 22 | चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है। |
| खंड-II भाग-III में वेतनों, सबसीडियों, सहायता अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, मुख्य केंद्रीय प्रयोजित स्कीमों तथा राज्य स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, आदि विभिन्न मदों पर 13 परिशिष्ट शामिल हैं। ये विवरण लेखों में उप-शीर्ष स्तर या उससे नीचे (अर्थात् लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) का विवरण प्रस्तुत करते हैं तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में वर्णित नहीं किए जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड-1 या 2 में 'विषय सूची' के रूप में दी गई है। विवरणियों के साथ परिशिष्टों अवलोकन राज्य सरकार के वित्तों की व्यापक स्थिति चित्रित करता है। | |

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

बारहवें वित्त आयोग द्वारा विभिन्न राजकोषीय घटकों के लिए निर्धारित मानक/सीमाएं और इसके प्रक्षेपण तथा राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों और अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की गई अन्य विवरणियों में की गई प्रतिबद्धतायें/प्रक्षेपण मुख्य राजकोषीय घटकों की प्रवृत्तियों एवं पद्धतियों के गुणात्मक अध्ययन हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि स.रा.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का उत्तम सूचक है, मुख्य राजकोषीय घटकों जैसे कि कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं वित्तीय घाटे, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। स.रा.घ.उ. को आधार मान कर विभिन्न घटकों की उत्प्लावकता की गणना की गई है ताकि यह पता लग सके कि संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति इत्यादि में परिवर्तन आधार के अनुरूप है, अथवा राजकोषीय घटकों को स. रा. घ. उ. के अतिरिक्त अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं।

गत पांच वर्षों हेतु स.रा.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

वर्तमान दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्ति

| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | 4,37,145 | 4,95,249 | 5,56,325 | 6,26,054 | 7,07,126 |
| स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर | 9.49 | 13.29 | 12.33 | 12.53 | 12.95 |

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

टिप्पणी : 2016-17 के लिए आंकड़े अनंतिम अनुमानों पर, 2017-18 के लिए त्वरित अनुमानों पर और 2018-19 के लिए अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं।

राजकोषीय घटकों की प्रवृत्तियों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

| शब्दावली | गणना के आधार |
|--|--|
| मानक की उत्प्लावकता | मानक की वृद्धि की दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि दर |
| अन्य मानक (ब) के संबंध में मानक (अ) की उत्प्लावकता | मानक (अ) की वृद्धि दर/मानक (ब) की वृद्धि दर |
| वृद्धि दर | $[(\text{चालू वर्ष राशि/गत वर्ष राशि})-1] \times 100$ |
| विकास व्यय | सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं |
| कुल व्यय | राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम |
| राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज | $\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) / 2] \times 100$ |
| बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज | $\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष} + \text{अंतिम शेष}) / 2] \times 100$ |
| राजस्व घाटा | राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय |
| राजकोषीय घाटा | राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां |
| प्राथमिक घाटा | वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान |

परिशिष्ट 1.4
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 8)
राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| भाग-क प्राप्तियां | | | | | |
| 1. राजस्व प्राप्तियां | 40,799 | 47,557 | 52,497 | 62,695 | 65,885 |
| (i) कर राजस्व | 27,635(67) | 30,929 (65) | 34,026 (65) | 41,099(66) | 42,581 (65) |
| बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर | 18,993(69) | 21,060 (68) | 23,488 (69) | 15,609(38) | 8,998 (21) |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 3,470(13) | 4,371 (14) | 4,613 (13) | 4,966(12) | 6,042 (14) |
| वाहनों पर कर | 1,192(4) | 1,401 (5) | 1,583 (5) | 2,778(7) | 2,908 (7) |
| स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस | 3,109(11) | 3,191 (10) | 3,283 (10) | 4,193(10) | 5,636 (13) |
| भू-राजस्व | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| माल एवं यात्रियों पर कर | 527(2) | 554 (2) | 595 (2) | 2,317(6) | 21 |
| बिजली पर कर एवं शुल्क | 240(1) | 257 (1) | 276 (1) | 306(1) | 337 (1) |
| राज्य माल एवं सेवा कर | 0 | 0 | 0 | 10,833(26) | 18,613 (44) |
| अन्य कर | 89 | 80 | 172 | 79 | 7 |
| (ii) कर-भिन्न राजस्व | 4,613(13) | 4,753 (10) | 6,196 (12) | 9,113(14) | 7,976 (12) |
| (iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश | 3,548(9) | 5,496 (12) | 6,597 (12) | 7,298(12) | 8,255 (12) |
| (iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान | 5,003(13) | 6,379 (13) | 5,678 (11) | 5,185(8) | 7,073 (11) |
| 2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 19 | 30 | 26 | 40 | 49 |
| 3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां | 273 | 328 | 973 | 6,341 | 5,372 |
| 4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3) | 41,091 | 47,915 | 53,496 | 69,076 | 71,306 |
| 5. लोक ऋण प्राप्तियां | 18,859 | 37,998 | 28,170 | 21,490 | 34,265 |
| आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित) | 18,728(99) | 37,901(100) | 28,047 (100) | 21,270(99) | 33,635 (98) |
| अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | - | 0 | 0 | 79 | 505 (2) |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 131(1) | 97 | 123 | 141(1) | 125 |
| 6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5) | 59,950 | 85,913 | 81,666 | 90,566 | 1,05,571 |
| 7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां | - | 63 | 80 | 27 | 12 |
| 8. लोक लेखे प्राप्तियां | 28,064 | 29,056 | 32,108 | 33,894 | 40,785 |
| 9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8) | 88,014 | 1,15,032 | 1,13,854 | 1,24,487 | 1,46,368 |
| भाग- ख व्यय/संवितरण | | | | | |
| 10. राजस्व व्यय | 49,118 | 59,236 | 68,403 | 73,257 | 77,155 |
| योजनागत | 12,760(26) | 18,561 (31) | 22,119 (32) | 0 | 0 |
| योजनेत्तर | 36,358(74) | 40,675 (69) | 46,284 (68) | 0 | 0 |
| सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित) | 16,765(34) | 18,713 (32) | 21,631 (32) | 26,699(36) | 28,169 (36) |
| आर्थिक सेवाएं | 13,088(27) | 18,691 (32) | 20,875 (30) | 18,107(25) | 19,021 (25) |
| सामाजिक सेवाएं | 19,120(39) | 21,539 (36) | 25,473 (37) | 28,061(38) | 29,743(38) |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 145 | 293 | 424(1) | 390(1) | 222(1) |
| 11. पूंजीगत व्यय | 3,716 | 6,908 | 6,863 | 13,538 | 15,307 |
| योजनागत | 4,837(130) | 6,624 (96) | 6,559 (96) | 0 | 0 |
| योजनेत्तर | (-)-1,121(-30) | 284 (4) | 304 (4) | 0 | 0 |
| सामान्य सेवाएं | 291(8) | 460 (7) | 399 (6) | 481(4) | 715 (5) |
| आर्थिक सेवाएं | 1,527(41) | 4,908 (71) | 4,877 (71) | 9,884(73) | 10,787 (70) |
| सामाजिक सेवाएं | 1,898(51) | 1,540 (22) | 1,587 (23) | 3,173(23) | 3,805 (25) |
| 12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण | 843 | 13,250 | 4,515 | 1,395 | 756 |
| 13. कुल (10+11+12) | 53,677 | 79,394 | 79,781 | 88,190 | 93,218 |
| 14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान | 8,227 | 7,215 | 5,276 | 6,339 | 17,184 |
| आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित) | 8,073(98) | 7,039 (98) | 5,090 (96) | 6,074(96) | 16,480 (96) |
| अर्थापय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | - | - | - | 79(1) | 505 (3) |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 154(2) | 176 (2) | 186 (4) | 186(3) | 199 (1) |
| 15. आकस्मिक निधि के विनियोजन | - | - | - | - | - |
| 16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15) | 61,904 | 86,609 | 85,057 | 94,529 | 1,10,402 |
| 17. आकस्मिक निधि संवितरण | | 63 | 80 | 27 | 12 |
| 18. लोक लेखे संवितरण | 25,609 | 28,650 | 29,276 | 31,171 | 37,386 |
| 19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18) | 87,513 | 1,15,322 | 1,14,413 | 1,25,727 | 1,47,800 |

| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| भाग ग-घाटा/आधिक्य | | | | | |
| 20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10) | (-) 8,319 | (-)11,679 | (-)15,906 | (-)10,562 | (-) 11,270 |
| 21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13) | (-) 12,586 | (-)31,479 | (-)26,285 | (-)19,114 | (-) 21,912 |
| 22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23) | (-) 5,658 | (-)23,195 | (-)15,743 | (-)7,153 | (-) 8,361 |
| भाग-घ अन्य डाटा | | | | | |
| 23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित) | 6,928 | 8,284 | 10,542 | 11,961 | 13,551 |
| 24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता | 6,106 | 10,766 | 12,647 | 9,844 | 10,078 |
| 25. अर्थोपाय अग्रिम/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में) | - | 0 | 0 | 79(2) | 505(4) |
| 26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज | - | 0 | 0 | 0.02 | 0.29 |
| 27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ¹⁰ | 4,37,145 | 4,95,249 | 5,56,325 | 6,26,054 | 7,07,126 |
| 28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में) | 88,446 | 1,20,718 | 1,46,371 | 1,64,076 | 1,84,216 |
| 29. बकाया गारंटियां- ब्याज तथा गारंटी फीस सहित (वर्ष के अन्त में) | 30,389 | 16,886 | 8,260 | 14,187 | 18,273 |
| 30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या | 14 | 18 | 14 | 25 | 23 |
| 31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी (₹ करोड़ में) | 62.19 | 98.65 | 199.17 | 167.14 | 127.30 |
| भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक | | | | | |
| I संसाधन संघटन | | | | | |
| स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ. | 0.063 | 0.062 | 0.061 | 0.066 | 0.060 |
| स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ. | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.015 | 0.011 |
| केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ. | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| II व्यय प्रबन्ध | | | | | |
| कुल व्यय/स.रा.घ.उ. | 0.123 | 0.160 | 0.143 | 0.141 | 0.132 |
| कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां | 1.316 | 1.669 | 1.520 | 1.407 | 1.415 |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय | 0.915 | 0.746 | 0.857 | 0.831 | 0.828 |
| सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय | 0.392 | 0.291 | 0.339 | 0.354 | 0.360 |
| आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय | 0.272 | 0.297 | 0.323 | 0.317 | 0.320 |
| पूँजीगत व्यय/कुल व्यय | 0.069 | 0.087 | 0.086 | 0.154 | 0.164 |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय | 0.064 | 0.081 | 0.081 | 0.148 | 0.157 |
| III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्धन | | | | | |
| राजस्व घाटा /स.रा.घ.उ. | (-)0.019 | (-)0.024 | (-)0.029 | (-)0.017 | (-)0.016 |
| राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ. | (-)0.029 | (-)0.064 | (-)0.047 | (-)0.031 | (-)0.031 |
| प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ. | (-)0.013 | (-)0.047 | (-)0.028 | (-)0.011 | (-)0.012 |
| राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा | 0.661 | 0.371 | 0.605 | 0.553 | 0.514 |
| प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ. | (-)0.025 | (-)0.033 | (-)0.036 | (-)0.021 | (-)0.021 |
| IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन | | | | | |
| राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ. | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां | 2.168 | 2.538 | 2.788 | 2.617 | 2.796 |
| V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक | | | | | |
| निवेश पर रिटर्न | 5.80 | 15.89 | 5.89 | 7.53 | 56.60 |
| वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.60 | 0.58 |

¹⁰ आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

परिशिष्ट 1.5 भाग-क
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3)
वर्ष 2018-19 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

| प्राप्तियां | | | संवितरण | | | |
|--|------------------|-----------|------------------|--|------------------|------------------|
| | 2017-18 | | 2018-19 | | 2017-18 | 2018-19 |
| भाग क: राजस्व | | | | | | |
| I. राजस्व प्राप्तियां | 62,694.87 | | 65,885.12 | I. राजस्व व्यय | 73,257.36 | 77,155.54 |
| कर राजस्व | 41,099.38 | 42,581.34 | | सामान्य सेवाएं | 26,698.68 | 28,168.97 |
| कर भिन्न राजस्व | 9,112.85 | 7,975.64 | | सामाजिक सेवाएं | 28,061.34 | 29,743.19 |
| संघीय करों में राज्यांश | 7,297.52 | 8,254.60 | | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 11,782.92 | 12,671.67 |
| नॉन प्लान अनुदान | - | - | | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 3,074.26 | 3,678.33 |
| राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान | - | - | | जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास | 5,770.38 | 4,804.46 |
| केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान | - | - | | सूचना एवं प्रसारण | 129.99 | 216.16 |
| केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों | 2,326.62 | 2,843.09 | | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 396.31 | 398.71 |
| वित्त आयोग अनुदान | 1,316.68 | 1,274.26 | | श्रम एवं श्रम कल्याण | 517.30 | 659.36 |
| राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान | 1,541.82 | 2,956.19 | | समाज कल्याण एवं पोषण | 6,381.69 | 7,301.44 |
| | | | | अन्य | 8.49 | 13.06 |
| | | | | आर्थिक सेवाएं | 18,106.82 | 19,021.58 |
| | | | | कृषि एवं सहायक गतिविधियां | 2,734.71 | 3,392.03 |
| | | | | ग्रामीण विकास | 2,980.84 | 3,417.60 |
| | | | | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1,463.09 | 1,470.54 |
| | | | | ऊर्जा | 7,631.52 | 7,447.42 |
| | | | | उद्योग एवं खनिज | 317.69 | 402.78 |
| | | | | परिवहन | 2,902.44 | 2,791.38 |
| | | | | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | 26.53 | 30.89 |
| | | | | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 50.00 | 68.94 |
| | | | | सहायता अनुदान तथा अंशदान | 390.52 | 221.80 |
| II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा | 10,562.49 | | 11,270.42 | II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य | | |
| योग भाग क | 73257.36 | | 77,155.54 | | 73,257.36 | 77,155.54 |
| भाग ख- अन्य | | | | | | |
| III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष | 5,658.26 | | 4,417.46 | III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट | | |
| IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 39.87 | | 49.01 | IV. पूंजीगत परिव्यय | 13,537.90 | 15,306.60 |
| | | | | सामान्य सेवाएं | 480.90 | 714.55 |
| | | | | सामाजिक सेवाएं | 3,172.70 | 3,804.65 |
| | | | | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 403.65 | 396.27 |
| | | | | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 302.22 | 332.83 |
| | | | | जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास | 2,222.42 | 2,853.79 |
| | | | | सूचना एवं प्रसारण | 49.38 | 22.06 |
| | | | | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 3.50 | 6.03 |
| | | | | समाज कल्याण एवं पोषण | 65.40 | 98.20 |
| | | | | अन्य | 126.13 | 95.47 |

| प्राप्तियां | | | संवितरण | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | 2017-18 | | 2018-19 | | 2017-18 | | 2018-19 |
| | | | | आर्थिक सेवाएं | 9,884.30 | | 10,787.40 |
| | | | | कृषि एवं सहायक गतिविधियां | 1,350.81 | 1,816.09 | |
| | | | | ग्रामीण विकास | | 3.86 | |
| | | | | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 973.55 | 1,274.38 | |
| | | | | ऊर्जा | 5,454.44 | 5,500.25 | |
| | | | | उद्योग एवं खनिज | 2.24 | 2.11 | |
| | | | | परिवहन | 1,782.31 | 1,766.80 | |
| | | | | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | - | - | |
| | | | | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 320.95 | 423.91 | |
| V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां | 6,340.93 | | 5,371.90 | V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम | 1,394.89 | | 755.64 |
| बिजली परियोजनाओं से | 6,007.50 | 5,271.09 | | बिजली परियोजनाओं हेतु | 887.48 | 52.83 | |
| सरकारी कर्मचारियों से | 93.19 | 58.38 | | सरकारी कर्मचारियों को | 121.07 | 54.81 | |
| अन्यों से | 240.24 | 42.43 | | अन्यों को | 386.34 | 648.00 | |
| VI राजस्व आधिक्य भाग क से अग्रणीत | - | - | | VI. राजस्व घाटा भाग क से अग्रणीत | 10,562.49 | | 11,270.42 |
| VII. लोक ऋण प्राप्तियां | 21,489.76 | | 34,264.97 | VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान | 6,338.85 | | 17,183.87 |
| बाह्य ऋण | | | | बाह्य ऋण | | | |
| आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त) | 21,269.27 | 33,635.11 | | आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त) | 6,073.77 | 16,479.68 | |
| अर्थापय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन | 79.48 | 505.03 | | अर्थापय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन | 79.48 | 505.03 | |
| केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 141.01 | 124.83 | | केन्द्रीय सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान | 185.60 | 199.16 | |
| VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन | | | | VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन | 26.77 | | 12.18 |
| IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि | 26.77 | | 12.18 | IX. आकस्मिक निधि से व्यय | | | |
| X. लोक लेखा प्राप्तियां | 33,894.25 | | 40,785.08 | X. लोक लेखा संवितरण | 31,171.48 | | 37,386.35 |
| लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि. | 3,342.50 | 3,512.08 | | लघु बचत, भविष्य निधियां, इत्यादि. | 2,116.18 | 2,344.37 | |
| आरक्षित निधियां | 973.29 | 944.98 | | आरक्षित निधियां | 153.65 | 156.46 | |
| उचन्त एवं विविध | 900.54 | 912.33 | | उचन्त एवं विविध | 852.20 | 978.04 | |
| प्रेषण | 8,098.05 | 8,911.01 | | प्रेषण | 8,123.14 | 8,740.29 | |
| निक्षेप एवं अग्रिम | 20,579.87 | 26,504.68 | | डिपोजिटस एवं अग्रिम | 19,926.31 | 25,167.19 | |
| XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट | | | | XI. अंतिम रोकड़ शेष | 4,417.46 | | 2,985.55 |
| | | | | कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद राशी | 0.54 | 0.54 | |
| | | | | रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप | (-490.11) | (-795.10) | |
| | | | | स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित | 2.93 | 3.91 | |
| | | | | विभागीय नकद शेष | | | |
| | | | | नकद शेष निवेश | 2,084.53 | 721.57 | |
| | | | | उद्दिष्ट निवेश | 2,819.57 | 3,054.63 | |
| योग भाग-ख | 67,449.84 | | 84,900.61 | योग | 67,449.84 | | 84,900.61 |

परिशिष्ट 1.5 भाग ख
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 35)
31 मार्च 2019 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

| 31 मार्च 2018 को | देयताएं | 31 मार्च 2019 को |
|------------------|--|------------------|
| 1,37,812.37 | आन्तरिक ऋण | 1,54,967.80 |
| | 97,017.33 ब्याज युक्त बाजार ऋण | 1,14,987.33 |
| | 2.26 ब्याज रहित बाजार ऋण | 2.26 |
| | 0.15 जीवन बीमा निगम से ऋण | 0.00 |
| | 29,442.54 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण | 29,608.70 |
| | 11,350.09 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 10,369.51 |
| 1,941.27 | केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 1,866.94 |
| | 1984-85 से पूर्व के ऋण | |
| | 41.87 योजनेत्तर ऋण | 40.25 |
| | 1,758.39 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण | 1,560.85 |
| | 141.01 विधाई स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण | 265.84 |
| 200.00 | आकस्मिक निधि | 200.00 |
| 14,547.52 | लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि | 15,715.23 |
| 7,067.03 | डिपोजिटस | 8,404.55 |
| 5,527.08 | आरक्षण निधियां | 6,315.60 |
| - | उचंत तथा विविध शेष | |
| 156.77 | प्रेषण शेष | 327.48 |
| 1,67,252.04 | | 1,87,797.60 |
| 31 मार्च 2018 को | परिसम्पत्तियां | 31 मार्च 2019 को |
| 79,358.89 | स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय | 94,616.48 |
| | 17,374.35 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश | 30,747.91 |
| | 61,984.54 अन्य पूंजीगत परिव्यय | 63,868.57 |
| 16,089.94 | ऋण एवं अग्रिम | 11,473.68 |
| | 11,689.47 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण | 6,471.21 |
| | 4,320.79 अन्य विकास ऋण | 4,926.36 |
| | 79.68 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण | 76.11 |
| 0.72 | अग्रिम | 0.74 |
| 10.80 | उचन्त एवं विविध शेष | 57.23 |
| - | प्रेषण शेष | - |
| 4,417.46 | नकद | 2,985.55 |
| | 0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण | 0.54 |
| | (-)490.11 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस | (-)795.10 |
| | 2.81 विभागीय नकद शेष | 3.79 |
| | 0.12 स्थायी अग्रिम | 0.12 |
| | 2,084.53 नकद शेष निवेश | 721.57 |
| | 2,819.57 आरक्षण निधि निवेश | 3,054.63 |
| 67,374.23 | सरकारी लेखाओं पर घाटा | 78,663.92 |
| | 10,562.49 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा | 11,270.42 |
| | 56,811.74 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा | 67,374.23 |
| | विविध सरकारी लेखे | 19.27 |
| 1,67,252.04 | कुल | 1,87,797.60 |

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: विवरणियों में दिए गए संक्षिप्त लेखों का आकलन, वित्त लेखाओं में दी गई विस्तृत टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ किया जाना चाहिए। मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति से अवगत करवाता है तथा वाणिज्यिक लेखों के अर्जन आधार से पृथक है। परिणामस्वरूप, कई मर्दे जैसे कि देय या प्राप्य अथवा हास या स्टाक आंकड़ों भिन्नता लेखों में नहीं ली जाती। उचन्त एवं विविध शेषों में शामिल रहते हैं - जारी बैंक जिनका भुगतान अभी नहीं हुआ था, राज्य के पक्ष में किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन, इत्यादि। लेखों में दर्शाई गई राशी तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 31 मार्च 2019 को "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशी" में ₹ 12.97 करोड़ (निवल डेबिट) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2019)।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.2; पृष्ठ 5)

वर्ष 2018-19 के लिए चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति
विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अन्तर्गत निर्धारणों/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | चौ.वि.आ. द्वारा निर्धारण | म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण | वास्तविक |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| स्वयं का कर राजस्व | 66,779 | 49,132 | 42,581 |
| स्वयं का कर-भिन्न राजस्व | 4,814 | 11,303 | 7,976 |
| स्वयं की राजस्व प्राप्तियां | 71,593 | 60,435 | 50,557 |
| कुल राजस्व व्यय | 64,340 | 85,187 | 77,155 |
| वेतन | - | 20,597 | 19,763 |
| ब्याज भुगतान | 12,310 | 14,037 | 13,551 |
| पेंशन | 6,588 | 8,301 | 8,140 |
| सब्सिडी-विद्युत | - | 6,478 | 7,415 |
| राजस्व सरप्लस (+)/घाटा (-) | (+) 7,253 | (-) 8,254 | (-) 11,270 |
| राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. का प्रतिशत) | 3.25 प्रतिशत | 2.82 प्रतिशत | 3.10 प्रतिशत |
| बकाया ऋण (स.रा.घ.उ. का प्रतिशत) | 20.92 प्रतिशत | 23.44 प्रतिशत | 26.05 प्रतिशत |

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 32)

सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति जो लेखों के प्रस्तुतिकरण वाले वर्ष तक हानियों में चल रहे थे

| क्र. सं. | सरकारी कम्पनियां | निवेश (2017-18 तक) | निवेश (2018-19 के दौरान) | निवेश (2018-19 तक) | संचित हानि | लेखा वर्ष |
|----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------|
| | | (₹ करोड़ में) | | | | |
| 1 | हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड | 42.87 | 2.27 | 45.14 | 12.76 | 2013-14 |
| 2 | हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ | 10.89 | 0.00 | 10.89 | 354.28 | 2016-17 |
| 3 | हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 2,873.46 | 15.63 | 2,889.09 | 48.53 | 2017-18 |
| 4 | उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड | 5,613.75 | 6,521.24 | 12,134.99 | 15,614.12 | 2017-18 |
| 5 | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड | 4,626.66 | 6,114.85 | 10,741.51 | 13,790.39 | 2017-18 |
| 6 | हरियाणा वित्तीय निगम | 202.01 | 0.00 | 202.01 | 113.51 | 2017-18 |
| 7 | हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 5.08 | 2017-18 |
| 8 | हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 1.14 | 2014-15 |
| 9 | हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ | 2.54 | 0.00 | 2.54 | 122.76 | 2014-15 |
| 10 | हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.18 | 1997-98 |
| 11 | हरियाणा चिकित्सा सेवाएं लिमिटेड | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 2014-15 |
| 12 | हरियाणा महिला विकास निगम | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 2.23 | 2012-13 |
| कुल | | 13,417.93 | 12,653.99 | 26,071.92 | 30,093.48 | |

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 33)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय
विवरणों

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | उपक्रम का नाम | लेखाओं की अवधि | गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी | साधन सरकारी पूंजी | हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां | वर्ष के दौरान किया गया हास प्रावधान | टर्नओवर | निवल लाभ/हानि | पूंजी पर ब्याज | कुल रिटर्न (9+10) | पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता |
|----------|--|----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम) | 1988-89 | - | - | - | - | 0.03 | (-) 0.01 | - | (-) 0.01 | - |
| 2 | कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण) | 1986-87 | 0.82 | 1.68 | - | - | 1.67 | 0.13 | - | 0.13 | 7.74 |
| 3 | मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम) | 2007-08 | 17.97 | 21.59 | 0.09 | 0.01 | 7.24 | 1.74 | 1.43 | 3.17 | 14.68 |
| 4 | खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम) | 2015-16 | 6,908.27 | 6,772.51 | - | - | 7,056.08 | (-) 263.84 | 207.76 | (-) 56.08 | - |
| 5 | परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज़ | 2014-15 | 1,186.24 | 1,118.34 | 873.28 | 38.28 | 1,153.70 | (-) 517.04 | 35.00 | (-) 482.04 | - |
| कुल | | | 8,113.30 | 7,914.12 | 873.37 | 38.29 | 8,218.72 | (-) 779.02 | 244.19 | (-) 534.83 | - |

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 33)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | विभाग/ एजेंसी | अनुमानित लागत (₹ करोड़ में) | संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.) | प्रदानगी की तारीख | पूर्णता की संभावित तारीख/स्थिति |
|----------|---|----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | मुंडका से बहादुरगढ़ तक मेट्रो का विस्तार | एच.एम.एस. सी.एल. | 2,028.96 (हरियाणा का अंश ₹ 787.96 करोड़) | | फरवरी 2013 | वाणिज्यिक संचालन की तिथि 24 जून 2018 |
| 2 | झज्जर पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट | एच.वी.पी. एन.एल. | 382.00 | डी.बी.एफ.ओ.टी. | - | 12 मार्च 2012, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है। |
| 3 | सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुडगांव तक मेट्रो लिंक | एच.एम.आर. टी.एल.एल. | 1,088.00 | बी.ओ.टी. | - | 14 नवंबर 2013, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है। |
| 4 | सिकंदरपुर से सैक्टर-56 गुडगांव तक मेट्रो लिंक | एच.एम.आर. टी.एल.एल. | 2,143.00 | डी.बी.एफ.ओ.टी. | - | 31 मार्च 2017, प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है। |
| 5 | कुण्डली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण | एच.एस.आई. आई.डी.सी. | 1,863.00 | बी.ओ.टी. (वार्षिकी) | अगस्त 2016 | अंतिम पूर्णता प्रमाण-पत्र दिसंबर 2018 में जारी किया गया। सड़क की गुणवत्ता में सुधार और पंच सूची दी गई मई सितंबर 2019 तक पूरा नहीं हुई थी। |
| 6 | हरियाणा राज्य में एकीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के विकास के लिए 14 परियोजनाएं | शहरी स्थानीय निकाय | 1,627.62 | बी.ओ.ओ.टी. | -- | 14 परियोजनाओं में से, दो परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन और सितंबर 2019 में पूरा होने की संभावना है। एक परियोजना के लिए निविदाएं खोली गईं और परियोजना कार्य जल्दी ही आर्बिट किया जायेगा। अगले तीन महीनों में परियोजनाओं के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की जायेंगी। जनवरी 2018 में चार परियोजनाओं में निविदाएं आमंत्रित की गईं और प्रत्येक परियोजना में एकल बोली प्राप्त हुई। पुनः टेंडरिंग पर निर्णय अनुमोदन के लिए लंबित है। |
| 7 | रेडियोलॉजिकल सर्विसिज | स्वास्थ्य | शून्य | डी.एफ.ओ. एंड एम. | जिला अस्पतालों के लिए जुलाई 2014 | चार जिला अस्पताल में सी.टी. और एम.आर.आई. कार्यात्मक और नौ जिलों में केवल सी.टी. स्कैन कार्यात्मक है। |
| 8 | हीमोडायलिसिस सर्विसिज | स्वास्थ्य | शून्य | डी.एफ.ओ. एंड एम. | 14 जिला अस्पतालों के लिए दिसंबर 2015 | 10 जिला अस्पतालों में सेवाएं प्रारम्भ हो गई हैं। |
| 9 | कैथ लैब सर्विसिज | स्वास्थ्य | शून्य | डी.एफ.ओ. एंड एम. | 4 जिला अस्पतालों के लिए मार्च 2016 | सभी चार जिला अस्पतालों में कार्यात्मक। |
| 10 | हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका बीवन रोड़ (0.00 से 14.28 कि.मी.) के पेवड सोल्डर द्वारा 2 लेनिंग का विकास | पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) | 94.00 | डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016 | -- | पूरा कर लिया है |
| 11 | 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन | औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा | 130.00 | -- | 2007 से 2012 | 2037-2042 (दस वर्षों की अधिस्थगन अवधि सहित) |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | विभाग/ एजेंसी | अनुमानित लागत (₹ करोड़ में) | संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.) | प्रदानगी की तारीख | पूर्णता की संभावित तारीख/स्थिति |
|----------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| 12 | मनोरंजन पार्क गुडगांव का निर्माण | एच.एस.आई. आई.डी.सी. | 230.00 | संयुक्त उद्यम | 02 जून 2000 | |
| 13 | गुडगांव, फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ सोहाना रोड की मरम्मत (लम्बाई 66.185 किलोमीटर) | पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) | 180.00 | बी.ओ.टी. | -- | परियोजना परिचालन चरण में है |
| 14 | बस स्टैंड एन.आई.टी., फरीदाबाद | डी.जी.एस.टी. | 110.94 | डी.बी.ओ.एफ.टी. | 14 जून 2018 | योजना के अनुमोदन और साइट सौंपने के दो साल बाद, जो प्रक्रियाधीन थी |
| कुल | | | 9,877.52 | | | |

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 53)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अनुदान की संख्या तथा नाम | मूल | पूरक | कुल | वास्तविक | बचत/आधिक्य |
|------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | | |
| 1 | 4-राजस्व | 1,105.74 | 288.60 | 1,394.34 | 1,066.23 | (-) 328.11 |
| 2 | 6- वित्त | 8,381.79 | 0.76 | 8,382.55 | 8,211.30 | (-) 171.25 |
| 3 | 8-भवन एवं सड़कें | 1,208.65 | 12.15 | 1,220.80 | 961.32 | (-) 259.48 |
| 4 | 9-शिक्षा | 13,587.44 | 175.00 | 13,762.44 | 11,962.65 | (-) 1,799.79 |
| 5 | 11-खेल एवं युवा कल्याण | 394.17 | 0.00 | 394.17 | 279.31 | (-) 114.86 |
| 6 | 13-स्वास्थ्य | 4,050.41 | 125.15 | 4,175.56 | 3,678.19 | (-) 497.37 |
| 7 | 15-स्थानीय शासन | 4,223.60 | 800.49 | 5,024.09 | 2,855.46 | (-) 2,168.63 |
| 8 | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 504.78 | 0.00 | 504.78 | 319.67 | (-) 185.11 |
| 9 | 19-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा श्रेणी और अल्पसंख्यकों का कल्याण | 722.51 | 2.17 | 724.68 | 398.71 | (-) 325.97 |
| 10 | 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 6,054.80 | 5.79 | 6,060.59 | 5,796.07 | (-) 264.52 |
| 11 | 21-महिला एवं बाल विकास | 1,217.97 | 197.20 | 1,415.17 | 938.59 | (-) 476.58 |
| 12 | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 388.97 | 0.20 | 389.17 | 280.67 | (-) 108.50 |
| 13 | 24-सिंचाई | 1,645.20 | 0.00 | 1,645.20 | 1,430.88 | (-) 214.32 |
| 14 | 25-उद्योग | 316.90 | 250.73 | 567.63 | 224.05 | (-) 343.58 |
| 15 | 27-कृषि | 2,667.85 | 65.00 | 2,732.85 | 1,776.07 | (-) 956.78 |
| 16 | 28-पशुपालन एवं डेरी विकास | 893.28 | 30.00 | 923.28 | 815.72 | (-) 107.56 |
| 17 | 30-वन एवं वन्यजीवन | 425.67 | 20.00 | 445.67 | 301.71 | (-) 143.96 |
| 18 | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 4,510.11 | 349.45 | 4,859.56 | 3,597.81 | (-) 1,261.75 |
| 19 | 34-परिवहन | 2,329.59 | 195.00 | 2,524.59 | 2,117.83 | (-) 406.76 |
| 20 | 36-गृह | 4,307.89 | 251.14 | 4,559.03 | 3,900.19 | (-) 658.84 |
| 21 | 38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति | 1,952.23 | 76.60 | 2,028.83 | 1,834.34 | (-) 194.49 |
| 22 | 39-सूचना एवं प्रचार | 193.07 | 217.81 | 410.88 | 216.16 | (-) 194.72 |
| 23 | 40-एनर्जी एवं पावर | 6,614.73 | 1,751.01 | 8,365.74 | 7,473.36 | (-) 892.38 |
| 24 | 42-न्याय प्रशासन | 692.48 | 92.07 | 784.55 | 590.07 | (-) 194.48 |
| | कुल | 68,389.83 | 4,906.32 | 73,296.15 | 61,026.36 | (-) 12,269.79 |
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | | |
| 25 | 6- वित्त | 14,289.39 | 129.60 | 14,418.99 | 13,551.46 | (-) 867.53 |
| | कुल | 14,289.39 | 129.60 | 14,418.99 | 13,551.46 | (-) 867.53 |
| पूजीगत (दत्तमत) | | | | | | |
| 26 | 7-आयोजना एवं सांख्यिकी | 410.00 | 300.00 | 710.00 | 399.86 | (-) 310.14 |
| 27 | 8-भवन एवं सड़कें | 3,474.14 | 256.30 | 3,730.44 | 2,848.31 | (-) 882.13 |
| 28 | 13-स्वास्थ्य | 522.50 | 45.00 | 567.50 | 144.70 | (-) 422.80 |
| 29 | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 9,451.21 | 3,000.00 | 12,451.21 | 12,266.09 | (-) 185.12 |
| 30 | 24-सिंचाई | 1,537.07 | 100.00 | 1,637.07 | 1,194.17 | (-) 442.90 |
| 31 | 34-परिवहन | 287.10 | 60.00 | 347.10 | 183.53 | (-) 163.57 |
| 32 | 36-गृह | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 255.80 | (-) 154.20 |
| 33 | 38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति | 1,759.49 | 0.00 | 1,759.49 | 1,464.96 | (-) 294.53 |
| 34 | 45-ऋण एवं अग्रिम | 1,766.42 | 245.54 | 2,011.96 | 755.64 | (-) 1,256.32 |
| | कुल | 19,617.93 | 4,006.84 | 23,624.77 | 19,513.06 | (-) 4,111.71 |
| पूजीगत (भारित) | | | | | | |
| 35 | लोक ऋण भारत | 12,465.75 | 6,800.00 | 19,265.75 | 17,183.87 | (-) 2,081.88 |
| | कुल | 12,465.75 | 6,800.00 | 19,265.75 | 17,183.87 | (-) 2,081.88 |
| | सकल कुल | 1,14,762.90 | 15,842.76 | 1,30,605.66 | 1,11,274.75 | (-) 19,330.91 |

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 53)

बजट प्रावधान के बिना किए गए व्यय का विवरण (₹ एक करोड़ से अधिक)

| क्र. स. | व्यय का मुख्य शीर्ष/लघु/उप-शीर्ष | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|-----------------------|
| अनुदान संख्या 24-सिंचाई | | |
| 1 | 2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिम जमुना नहर परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता | 2.19 |
| 2 | 2700-मुख्य सिंचाई, 04-लोहारू नहर परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता | 1.35 |
| 3 | 2700-मुख्य सिंचाई, 05-जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता | 1.86 |
| 4 | 2700-मुख्य सिंचाई, 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व | 2.03 |
| 5 | 2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व | 5.33 |
| 6 | 2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता | 56.65 |
| 7 | 2700-मुख्य सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता | 4.64 |
| अनुदान संख्या 25-उद्योग | | |
| 8 | 2852-उद्योग-08-उपभोगता उद्योग, 600-अन्य, 98- खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एफ.पी.) | 2.19 |
| अनुदान संख्या 40-एनर्जी एवं पावर | | |
| 9 | 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 05-पारेषण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 95-उदय स्कीम के अंतर्गत डिसकोमज को इक्विटी पूंजी 96-उदय स्कीम के अंतर्गत उ.ह.ब.व.नि.लि. की हानि का अधिग्रहण करने के लिए इक्विटी पूंजी | 10.25 |
| | कुल | 86.49 |

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 57)

मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)

अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

| क्र. स. | अनुदान का नाम | मूल | अनुपूरक | वास्तविक | प्रावधानों में से बचत |
|------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | |
| 1 | 4-राजस्व | 1,105.74 | 288.60 | 1,066.23 | (-) 328.11 |
| 2 | 5-आबकारी एवं कराधान | 238.03 | 5.35 | 194.98 | (-) 48.40 |
| 3 | 6-वित्त | 8,381.79 | 0.76 | 8,211.30 | (-) 171.25 |
| 4 | 8-भवन एवं सड़कें | 1,208.65 | 12.15 | 961.32 | (-) 259.48 |
| 5 | 9-शिक्षा | 13,587.44 | 175.00 | 11,962.65 | (-) 1,799.79 |
| 6 | 10-तकनीकी शिक्षा | 437.95 | 25.00 | 394.78 | (-) 68.17 |
| 7 | 13-स्वास्थ्य | 4,050.41 | 125.15 | 3,678.19 | (-) 497.37 |
| 8 | 14-शहरी विकास | 104.99 | 1.86 | 67.92 | (-) 38.93 |
| 9 | 15-स्थानीय शासन | 4,223.60 | 800.49 | 2,855.46 | (-) 2,168.63 |
| 10 | 16-श्रम | 50.10 | 0.51 | 45.86 | (-) 4.75 |
| 11 | 19-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा श्रेणी और अल्पसंख्यकों का कल्याण | 722.51 | 2.17 | 398.71 | (-) 325.97 |
| 12 | 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 6,054.80 | 5.79 | 5,796.07 | (-) 264.52 |
| 13 | 21-महिला एवं बाल विकास | 1,217.97 | 197.20 | 938.59 | (-) 476.58 |
| 14 | 25-उद्योग | 316.90 | 250.73 | 224.05 | (-) 343.58 |
| 15 | 27-कृषि | 2,667.85 | 65.00 | 1,776.07 | (-) 956.78 |
| 16 | 28-पशुपालन एवं डेरी विकास | 893.28 | 30.00 | 815.72 | (-) 107.56 |
| 17 | 30-वन एवं वन्यजीवन | 425.67 | 20.00 | 301.71 | (-) 143.96 |
| 18 | 31-पारिस्थितिकी और पर्यावरण | 12.42 | 0.67 | 4.95 | (-) 8.14 |
| 19 | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 4,510.11 | 349.45 | 3,597.81 | (-) 1,261.75 |
| 20 | 34-परिवहन | 2,329.59 | 195.00 | 2,117.83 | (-) 406.76 |
| 21 | 36-गृह | 4,307.89 | 251.14 | 3,900.19 | (-) 658.84 |
| 22 | 37-चुनाव | 62.41 | 13.43 | 45.21 | (-) 30.63 |
| 23 | 38-लोक स्वास्थ्य और जल आपूर्ति | 1,952.23 | 76.60 | 1,834.34 | (-) 194.49 |
| 24 | 42-न्याय प्रशासन | 148.66 | 5.00 | 88.30 | (-) 65.36 |
| 25 | 42-न्याय का प्रशासन | 692.48 | 92.07 | 590.07 | (-) 194.48 |
| 26 | 43-जेले | 273.13 | 7.16 | 209.80 | (-) 70.49 |
| 27 | 44-छपाई और लेखन सामग्री | 33.92 | 5.38 | 30.46 | (-) 8.84 |
| | कुल | 60,010.52 | 3,001.66 | 52,108.57 | (-) 10,903.61 |
| राजस्व (भारित) | | | | | |
| 28 | 6-वित्त | 14,289.39 | 129.60 | 13,551.46 | (-) 867.53 |
| | कुल | 14,289.39 | 129.60 | 13,551.46 | (-) 867.53 |

| क्र. स. | अनुदान का नाम | मूल | अनुपूरक | वास्तविक | प्रावधानों में से बचत |
|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| पूँजीगत (दत्तमत) | | | | | |
| 29 | 7-योजना और सांख्यिकी | 410.00 | 300.00 | 399.86 | (-) 310.14 |
| 30 | 8-भवन एवं सड़कें | 3,474.14 | 256.30 | 2,848.31 | (-) 882.13 |
| 31 | 13-स्वास्थ्य | 522.50 | 45.00 | 144.70 | (-) 422.80 |
| 32 | 24-सिंचाई | 1,537.07 | 100.00 | 1,194.17 | (-) 442.90 |
| 33 | 34-परिवहन | 287.10 | 60.00 | 183.53 | (-) 163.57 |
| 34 | 39-सूचना एवं प्रचार | 50.00 | 1.00 | 22.06 | (-) 28.94 |
| 35 | 40-एनर्जी एवं पावर | 5,515.86 | 19.43 | 5,500.25 | (-) 35.04 |
| 36 | 44-छपाई और लेखन सामग्री | 1.00 | 1.38 | 0.09 | (-) 2.29 |
| 37 | 45-ऋण एवं अग्रिम | 1,766.42 | 245.54 | 755.64 | (-) 1,256.32 |
| | कुल | 13,564.09 | 1,028.65 | 11,048.61 | (-) 3,544.13 |
| | सकल कुल | 87,864.00 | 4,159.91 | 76,708.64 | (-) 15,315.27 |

**मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)
अपर्याप्त सिद्ध हुए**

(₹ करोड़ में)

| क्र.स. | अनुदान का नाम | मूल | अनुपूरक | वास्तविक | आधिक्य |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | |
| 1 | 1-विधानसभा | 65.09 | 9.40 | 70.81 | (-) 3.68 |
| 2 | 2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद | 158.15 | 4.00 | 158.48 | (-) 3.67 |
| 3 | 3-सामान्य प्रशासन | 316.49 | 66.24 | 324.93 | (-) 57.8 |
| 4 | 12-कला और संस्कृति | 21.74 | 12.18 | 23.72 | (-) 10.2 |
| 5 | 17-रोजगार | 236.19 | 103.44 | 294.26 | (-) 45.37 |
| 6 | 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण | 149.32 | 42.74 | 162.29 | (-) 29.77 |
| 7 | 26-खान और भूविज्ञान | 70.53 | 35.88 | 93.84 | (-) 12.57 |
| 8 | 35-पर्यटन | 3.98 | 12.00 | 14.87 | (-) 1.11 |
| 9 | 39-सूचना और प्रचार | 193.07 | 217.81 | 216.16 | (-) 194.72 |
| 10 | 40-ऊर्जा शक्ति | 6,614.73 | 1,751.01 | 7,473.36 | (-) 892.38 |
| राजस्व (भारित) | | | | | |
| 11 | 2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद | 18.17 | 5.29 | 19.82 | (-) 3.64 |
| 12 | 3-सामान्य प्रशासन | 11.58 | 6.27 | 15.84 | (-) 2.01 |
| पूँजीगत (दत्तमत) | | | | | |
| 13 | 23-खाद्य और आपूर्ति | 9,451.21 | 3,000.00 | 12,266.09 | (-) 185.12 |
| पूँजीगत (भारित) | | | | | |
| 14 | लोक ऋण भारित | 12,465.75 | 6,800.00 | 17,183.87 | (-) 2081.88 |
| | कुल | 29,776.00 | 12,066.26 | 38,318.34 | (-) 3,523.92 |

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 57)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में अधिक व्यय दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | लेखा शीर्ष | वर्ष के दौरान कुल व्यय | वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय | | मार्च 2018 के दौरान व्यय | |
|----------|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | राशि | कुल व्यय की प्रतिशतता | राशि | कुल व्यय की प्रतिशतता |
| 1 | 04-राजस्व | 2506-भूमि सुधार | 41.40 | 33.15 | 80 | 31.26 | 76 |
| 2 | 07- आयोजना एवं सांख्यिकी | 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | 399.86 | 342.31 | 86 | 276.64 | 69 |
| 3 | 08- भवन एवं | 2216-आवास | 48.06 | 29.43 | 61 | 23.93 | 50 |
| 4 | सड़क | 3054-सड़कें और पुल | 729.81 | 455.50 | 62 | 401.48 | 55 |
| 5 | 18- औद्योगिक प्रशिक्षण | 4250-अन्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | 14.83 | 12.21 | 82 | 10.42 | 70 |
| 6 | 21-महिला और बाल विकास | 2236-पोषण | 105.29 | 55.58 | 53 | 26.19 | 25 |
| 7 | 24-सिंचाई | 2701-मध्यम सिंचाई | 209.24 | 194.76 | 93 | 188.16 | 90 |
| 8 | | 4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजी परिव्यय | 550.89 | 318.24 | 58 | 261.46 | 47 |
| 9 | | 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय | 536.71 | 365.34 | 68 | 280.64 | 52 |
| 10 | | 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजी परिव्यय | 186.79 | 108.22 | 58 | 86.04 | 46 |
| 11 | 26- खदान तथा भू-विज्ञान | 2853-नॉन फेरस मिनिंग एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज | 93.84 | 63.12 | 67 | 52.47 | 56 |
| 12 | 27-कृषि | 2401-फसल की पैदावार | 1,332.53 | 737.55 | 55 | 550.20 | 41 |
| 13 | 33-सहकारिता | 4425-सहकारिता पर पूंजी परिव्यय | 124.48 | 117.51 | 94 | 116.89 | 94 |
| 14 | 37-चुनाव | 2015-चुनाव | 45.21 | 27.67 | 61 | 21.94 | 49 |
| 15 | 39-सूचना और प्रचार | 4220-सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय | 22.06 | 22.06 | 100 | 20.64 | 94 |
| 16 | 40-एनर्जी एवं पावर | 2810-नई और नवीकरणीय ऊर्जा | 77.14 | 65.37 | 85 | 28.00 | 36 |
| 17 | 44-छपाई और लेखन सामग्री | 2058-छपाई और लेखन सामग्री | 19.69 | 10.30 | 52 | 3.96 | 20 |
| | | कुल | 4,537.83 | 2,958.32 | 65 | 2,380.32 | 52 |

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 58)

भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करने के खजानावार विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | खजाने का नाम | वाऊचरों की संख्या | राशि |
|---------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | अंबाला | 33 | 0.30 |
| 2 | भिवानी | 34 | 1.30 |
| 3 | चण्डीगढ़ | 2 | 0.01 |
| 4 | फरीदाबाद | 50 | 0.51 |
| 5 | फतेहाबाद | 3 | 0.00 ¹ |
| 6 | गुरुग्राम | 16 | 0.35 |
| 7 | हिसार | 21 | 0.24 |
| 8 | जगाधरी | 15 | 0.20 |
| 9 | झज्जर | 12 | 2.10 |
| 10 | जींद | 6 | 0.04 |
| 11 | कैथल | 6 | 0.07 |
| 12 | करनाल | 90 | 1.54 |
| 13 | कुरुक्षेत्र | 4 | 0.04 |
| 14 | नारनौल | 8 | 0.09 |
| 15 | नूंह (मेवात) | 5 | 0.21 |
| 16 | पंचकूला | 10 | 0.21 |
| 17 | पानीपत | 9 | 0.13 |
| 18 | रेवाड़ी | 11 | 0.10 |
| 19 | रोहतक | 8 | 0.03 |
| 20 | सिरसा | 18 | 0.28 |
| 21 | सोनीपत | 24 | 0.41 |
| कुल | | 385 | 8.17 |

¹ ₹ 41,697/-

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.4; पृष्ठ 59)

मुख्य शीर्ष 8782-रेमिटेंसिस 103-वन रेमिटेंसिस के संबंध में शुद्ध अंतर दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | मंडल का नाम | डेबिट | क्रेडिट |
|---------|--|-------|-------------------|
| 1 | हरियाणा के प्रधान मुख्य संरक्षक, पंचकूला | 4.20 | - |
| 2 | संरक्षक उत्तर परिमंडल, पंचकूला | - | 0.01 |
| 3 | मंडल अधिकारी (टी) मोरनी (पिंजौर) | - | 0.44 |
| 4 | मंडल अधिकारी (टी) यमुनानगर | 0.03 | - |
| 5 | मंडल अधिकारी (टी) अंबाला शहर | 1.43 | - |
| 6 | मंडल अधिकारी (टी) कुरुक्षेत्र | - | 0.49 |
| 7 | मंडल अधिकारी (टी) करनाल | - | 0.20 |
| 8 | मंडल अधिकारी (टी) सोनीपत | - | 0.57 |
| 9 | मंडल अधिकारी (टी) कैथल | - | 0.05 |
| 10 | संरक्षक दक्षिण परिमंडल, गुरुग्राम | - | 0.00 ² |
| 11 | मंडल अधिकारी (टी) महेन्द्रगढ़ | 0.17 | - |
| 12 | मंडल अधिकारी (टी) फरीदाबाद | - | 3.77 |
| 13 | मंडल अधिकारी रोहतक | 0.54 | - |
| 14 | मंडल अधिकारी गुरुग्राम | 2.51 | - |
| 15 | संरक्षक पश्चिम परिमंडल, हिसार | - | 0.03 |
| 16 | मंडल अधिकारी (टी) सिरसा | 0.32 | - |
| 17 | मंडल अधिकारी (टी) जींद | 0.78 | - |
| 18 | मंडल अधिकारी (टी) हिसार | 0.12 | - |
| 19 | मंडल अधिकारी (टी) भिवानी | - | 0.37 |
| 20 | मंडल अधिकारी (पी) करनाल | 1.19 | - |
| 21 | मंडल अधिकारी (पी) कुरुक्षेत्र | 0.40 | - |
| 22 | मंडल अधिकारी (पी) यमुनानगर | 1.16 | - |
| 23 | संरक्षक प्रशिक्षण परिमंडल, पिंजौर, पंचकूला | - | 0.00 ² |
| 24 | संरक्षक अनुसंधान परिमंडल, पिंजौर, पंचकूला | - | 0.06 |
| 25 | संरक्षक केंद्रीय परिमंडल, रोहतक | 0.05 | - |
| 26 | मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना पानीपत | - | 0.62 |
| 27 | मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना फरीदाबाद | - | 0.06 |
| 28 | मंडल अधिकारी (टी) पानीपत | - | 0.13 |
| 29 | मंडल अधिकारी झज्जर | - | 0.93 |
| 30 | मंडल अधिकारी (टी एंड ई) करनाल | 0.21 | - |
| 31 | मंडल अधिकारी (टी) मेवात नूह | - | 0.26 |
| 32 | मंडल अधिकारी (टी) रेवाड़ी | 0.45 | - |
| 33 | मंडल अधिकारी (टी) फतेहाबाद | - | 2.14 |
| 34 | मुख्य वाइल्ड लाइफ वार्डन पंचकूला | - | 0.01 |
| 35 | मंडलीय वन्य जीव अधिकारी पंचकूला | 0.01 | - |
| 36 | मंडलीय वन्य जीव अधिकारी रोहतक | - | 0.83 |
| 37 | सामुदायिक वानिकी परियोजना संरक्षक अंबाला | - | 0.01 |
| 38 | मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना कुरुक्षेत्र | 0.34 | - |
| 39 | सामुदायिक वानिकी परियोजना संरक्षक परिमंडल हिसार | - | 0.00 ² |

² ₹ 50,000/- से कम राशि

| क्र.सं. | मंडल का नाम | डेबिट | क्रेडिट |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| 40 | मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना भिवानी | 0.01 | - |
| 41 | मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना जटुसाना, रेवाड़ी | - | 0.02 |
| 42 | मंडल अधिकारी सामुदायिक वानिकी परियोजना हिसार | - | 0.03 |
| 43 | संरक्षक अधिकारी (एम. एंड ई.) परिमंडल करनाल | - | 0.00 ³ |
| 44 | मंडल अधिकारी (टी) पलवल | 3.14 | - |
| 45 | मंडलीय वन्य जीव अधिकारी गुरुग्राम | - | 0.01 |
| 46 | मंडलीय वन्य जीव अधिकारी हिसार | 0.03 | - |
| 47 | मंडल अधिकारी प्रशिक्षण प्रभाग सोहाना | 0.01 | - |
| 48 | कार्य योजना संरक्षक परिमंडल गुरुग्राम | - | 0.44 |
| 49 | मंडल अधिकारी प्रशिक्षण प्रभाग पिंजौर | - | 0.00 ³ |
| 50 | मंडल अधिकारी अनुसंधान प्रभाग पिंजौर | 0.04 | - |
| 51 | मंडल अधिकारी बीज संग्रह प्रभाग पिंजौर | - | 0.04 |
| 52 | डी.एफ.ओ. (पी) हिसार | - | 0.30 |
| 53 | मंडल अधिकारी (एम. एंड ई.) हिसार | - | 0.01 |
| 54 | मंडल अधिकारी इको टूरिज्म पंचकूला | 0.00 ³ | - |
| 55 | साइबर ट्रेजरी | - | 1.00 |
| 56 | सी.एफ., एस.एफ. अंबाला | - | 0.05 |
| 57 | मंडल अधिकारी समुदाय अंबाला | 0.00 ³ | - |
| 58 | संरक्षक (पी) परिमंडल करनाल | | 0.00 ³ |
| 59 | डी.एफ.ओ. इको टूरिज्म गुरुग्राम | | 0.00 ³ |

³ ₹ 50,000/- से कम राशि

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (i); पृष्ठ 60)

स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा अधिक) जिनके लिए बजट अनुमानों में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापिस ले लिए गए

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले |
|----------|--|---|----------------|---------------|
| 1 | आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा | हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान | 10.00 | - |
| 2 | शिक्षा (माध्यमिक) | माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजन समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.) | 17.10 | - |
| 3 | | शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण और संचालन | 17.43 | - |
| 4 | | साक्षर भारत योजना | 1.00 | - |
| 5 | मछली पालन | मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंग का सुदृढीकरण / डाटा आधार के सुदृढीकरण और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए सूचना नेटवर्किंग-स्थापना व्यय के रूप में पुनर्नामांकित | 1.40 | - |
| 6 | स्वास्थ्य | गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों के लिए आरोग्य कोष | 2.10 | - |
| 7 | बागवानी | बागवानी किसानों को कृषि और विपणन सहायता | 199.33 | - |
| 8 | जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी | डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम | 30.00 | - |
| 9 | | त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-स्थिरता (केंद्रीय) | 10.00 | - |
| 10 | | अनुसूचित जाति के लिए डी.डी.पी. के तहत विशेष घटक योजना | 10.00 | - |
| 11 | लोक निर्माण (भवन और सड़कें) | पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण | 10.00 | - |
| 12 | राजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, हरियाणा | शेयर कैपिटल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक | 2.00 | - |
| 13 | | हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, चंडीगढ़ | 1.00 | - |
| 14 | | प्राथमिक सहकारी और कृषि ग्रामीण विकास में शेयर कैपिटल के लिए सरकार का योगदान | 1.00 | - |
| 15 | | आवास सहकारी समितियों को ऋण | 1.00 | - |
| 16 | कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण | हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना | 17.00 | - |
| 17 | | आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. में उन्नयन | 1.00 | - |
| 18 | | आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. में उन्नयन | 4.00 | - |
| 19 | | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना | 32.33 | - |
| 20 | | आई.टी.आई. में आतिथ्य शिक्षा | 1.06 | - |
| | | कुल | 368.75 | |

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ii); पृष्ठ 60)

स्कीमों के विवरण (₹ पांच करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले |
|----------|---|--|----------------|---------------|
| 1 | आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा | राज्य और जिला स्तर पर राज्य रणनीतिक सांख्यिकी योजना (एस.एस.एस.पी.) - स्थापना पर व्यय | 10.00 | 1.00 |
| 2 | विकास और पंचायत | हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना | 5.00 | 1.00 |
| 3 | | हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता के लिए योजना | 5.00 | 0.01 |
| 4 | | हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता के लिए योजना | 10.00 | 0.01 |
| 5 | शिक्षा (माध्यमिक) | नाबार्ड के तहत उच्चतर माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के भवन का निर्माण | 100.00 | 0.10 |
| 6 | वन | सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एस.ए) केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कृषि- वानिकी | 6.00 | 3.00 |
| 7 | | राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन) | 20.00 | 0.01 |
| 8 | | राज्य वन विकास एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.) द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण और वानिकी/वनीकरण गतिविधियाँ | 15.00 | 0.01 |
| 9 | बागवानी | हरियाणा राज्य में नाबार्ड की सिंचाई दक्षता योजना के तहत अति शोषित और महत्वपूर्ण ब्लॉकों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए योजना | 11.84 | 0.01 |
| 10 | सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार | राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना | 15.97 | 2.00 |
| 11 | सिंचाई और जल संसाधन | नहर का निर्माण (एस.वाई.एल.) | 100.00 | 0.10 |
| 12 | | भाखड़ा मेन लाइन की मरम्मत क्षमता | 7.00 | 1.50 |
| 13 | | नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई | 110.00 | 0.01 |
| 14 | चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान | राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूलों / कॉलेजों के निर्माण कार्य - भवन का निर्माण | 20.00 | 5.00 |
| 15 | | नालहर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य - भवन का निर्माण | 5.00 | 2.00 |
| 16 | पुलिस | क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्टाफ | 7.00 | 0.01 |
| 17 | विद्युत | हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण | 500.00 | 390.00 |
| 18 | | आर.आई.डी.एफ. योजनाओं के तहत नाबार्ड से एच.पी.जी.सी. एल. को ऋण | 220.11 | 0.01 |

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले |
|----------|--|--|---|---------------|
| 19 | लोक निर्माण (भवन और सड़कें) | राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण | 20.00 | 14.00 |
| 20 | | ट्रेजरी और लेखा प्रशासन | 5.00 | 2.00 |
| 21 | | स्वर्ण जयंती योजना के तहत भवनों का निर्माण | 10.00 | 3.00 |
| 22 | ग्रामीण विकास | राष्ट्रीय सम विकास योजना / पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती उत्थान योजना - सामान्य योजना | 67.00 | 3.00 |
| 23 | | अनुसूचित जाति के लिए पिछड़ा अनुदान क्षेत्र कोष के लिए योजना का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती उत्थान योजना किया गया | 33.00 | 1.00 |
| 24 | | एकीकृत बंजर भूमि विकास / प्रबंधन परियोजना | 66.00 | 24.00 |
| 25 | | एकीकृत बंजर भूमि विकास / प्रबंधन परियोजना | 10.00 | 6.00 |
| 26 | | अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | 55.00 | 36.00 |
| 27 | | विज्ञान और तकनीक | अंबाला कैंट में विज्ञान केंद्र की स्थापना | 5.85 |
| 28 | सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना | | 20.00 | 3.80 |
| 29 | खेल और युवा कल्याण | पंचायती युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) का नाम बदलकर खेलो इंडिया-स्पोर्ट्स के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम - केंद्रीय क्षेत्र योजना सहायता अनुदान | 20.00 | 5.00 |
| 30 | | इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम | 10.25 | 5.25 |
| 31 | तकनीकी शिक्षा | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना | 10.00 | 1.00 |
| 32 | शहरी स्थानीय निकाय | दूध डेयरी की शिपिंग | 6.00 | 0.01 |
| 33 | | राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | 36.00 | 24.00 |
| 34 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा श्रेणी और अल्पसंख्यकों का कल्याण | गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल | 5.00 | 3.00 |
| 35 | | ओ.बी.सी. छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण | 5.00 | 2.50 |
| 36 | | पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 6.00 | 4.00 |
| 37 | | अनुसूचित जाती के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 35.00 | 15.00 |
| 38 | | बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना | 5.50 | 3.50 |
| 39 | | कौशल विकास कार्यक्रम अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न क्षेत्र | 12.00 | 6.40 |
| 40 | पारंपरिक योजनाओं के लिए सब्सिडी जैसे डेयरी, पिगरी और अन्य योजनाएं | पारंपरिक योजनाओं के लिए सब्सिडी जैसे डेयरी, पिगरी और अन्य योजनाएं | 7.95 | 0.95 |
| 41 | | पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति | 30.00 | 20.00 |
| | | कुल | 1,648.47 | 590.19 |

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iii); पृष्ठ 61)

स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले |
|----------|--|---|----------------|---------------|
| 1 | कृषि और किसान कल्याण विभाग | बायो-गैस प्लांट लगाना | 6.00 | 6.00 |
| 2 | पशुपालन | डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना | 2.20 | 2.20 |
| 3 | सिंचाई और जल संसाधन | कार्यकारी अभियंता | 3.59 | 3.59 |
| 4 | | नहरों का निर्माण | 1.00 | 1.00 |
| 5 | | नहरों (मेवात) का निर्माण | 1.00 | 1.00 |
| 6 | चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान | निर्माण कार्य एम्स, मनेठी (रेवाड़ी) | 1.00 | 1.00 |
| 7 | लोक निर्माण (भवन और सड़कें) | ऑफिस-बिल्डिंग (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) के निर्माण के लिए भूमि की खरीद | 2.00 | 2.00 |
| 8 | ग्रामीण विकास | सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जे.वाई.) | 2.50 | 2.50 |
| 9 | शहरी स्थानीय निकाय | अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | 5.40 | 5.40 |
| 10 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा श्रेणी और अल्पसंख्यकों का कल्याण | डी-नोटिफाइड ट्राइब्स (डी.एन.टी.) के लिए अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना | 4.00 | 4.00 |
| | कुल | | 28.69 | 28.69 |

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iv); पृष्ठ 61)

स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय | अनुमोदित आउटले की प्रतिशतता |
|----------|-----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | शिक्षा (प्राथमिक) | सर्व शिक्षा अभियान | 148.28 | 193.83 | 90.74 | 61 |
| 2 | शिक्षा (माध्यमिक) | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.म.शि.अभि.) | 80.00 | 81.96 | 54.86 | 69 |
| 3 | चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान | स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य, करनाल - भवन का निर्माण | 50.00 | 62.15 | 21.73 | 43 |
| 4 | जनसंपर्क | फिल्मों का निर्माण- सूचना प्रौद्योगिकी | 2.45 | 4.00 | 1.92 | 78 |
| 5 | तकनीकी शिक्षा | राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, झज्जर | 2.50 | 3.00 | 1.07 | 43 |
| 6 | ट्रेजरी और लेखा | एकीकृत वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी | 3.65 | 4.67 | 1.89 | 52 |
| 7 | शहरी स्थानीय निकाय | अनुसूचित जाति के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान | 88.00 | 224.00 | 61.60 | 70 |
| | | कुल | 374.88 | 573.61 | 233.81 | 62 |

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (v); पृष्ठ 61)

स्कीमों के विवरण (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित प्रावधान के 80 प्रतिशत से भी कम था

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आउटले की प्रतिशतता |
|----------|-----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 1 | कृषि और किसान कल्याण विभाग | संस्थागत एजेंसियों द्वारा उर्वरक के स्टॉकिंग और वितरण के लिए योजना | 25.00 | 20.00 | 13.09 | 65 |
| 2 | | कृषि विस्तार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए योजना | 7.00 | 6.99 | 4.70 | 67 |
| 3 | | कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (रा.ई.ग.यो.-कृषि) | 9.00 | 6.00 | 2.68 | 45 |
| 4 | | आई.एस.ओ.पी.ओ.एम. - जिसका नाम अब नेशनल मिशन ऑफ ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाल्म है (एन.एम.ओ.ओ.पी.) | 5.00 | 1.64 | 1.15 | 70 |
| 5 | | कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन | 215.71 | 196.50 | 72.73 | 37 |
| 6 | विकास और पंचायत | राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.) - अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) | 40.25 | 15.02 | 11.65 | 78 |
| 7 | | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना | 125.00 | 120.00 | 70.94 | 59 |
| 8 | शिक्षा (प्राथमिक) | I-VIII कक्षाओं में बी.पी.एल. छात्रों को मासिक स्टाइपेंड | 12.00 | 10.00 | 5.17 | 52 |
| 9 | | स्वर्ण जयंती कार्यक्रम - स्वच्छ प्रांगण | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 50 |
| 10 | | सर्व शिक्षा अभियान | 741.38 | 621.14 | 432.93 | 70 |
| 11 | शिक्षा (माध्यमिक) | स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन | 100.08 | 48.00 | 38.08 | 79 |
| 12 | पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन | गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना | 5.00 | 1.02 | 0.01 | 1 |
| 13 | परिवार कल्याण | राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो | 5.83 | 4.00 | 3.08 | 77 |
| 14 | मछली पालन | सजावटी मछली पालन के लिए योजना | 10.00 | 6.00 | 3.32 | 55 |
| 15 | | ताजे पानी में मछलीपालन का विकास | 20.35 | 17.60 | 8.63 | 49 |
| 16 | | खारे पानी का मछली पालन के लिए उपयोग योजना - अब नामांकित 'खारे/क्षारीय पानी का मछली पालन के लिए सदुपयोग' | 5.10 | 3.09 | 1.01 | 33 |
| 17 | वन | चिड़ियाघर और हिरण पार्कों का विस्तार | 5.50 | 4.50 | 3.31 | 74 |

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आउटले की प्रतिशतता |
|----------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 18 | स्वास्थ्य | बी.पी.एल. परिवारों के लिए राष्ट्रीय मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना | 200.00 | 5.00 | 2.00 | 40 |
| 19 | सूचना | हरियाणा के लिए आई.टी. योजना | 67.50 | 60.00 | 47.25 | 79 |
| 20 | प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार | कंप्यूटर नेटवर्क | 32.60 | 29.00 | 22.82 | 79 |
| 21 | चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान | चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना पं. बी.डी.शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक | 25.00 | 14.00 | 8.38 | 60 |
| 22 | | कार्यालय निदेशक, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा, हरियाणा की स्थापना | 8.00 | 7.28 | 5.25 | 72 |
| 23 | | बी. डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक का निर्माण कार्य- भवन का निर्माण | 60.00 | 38.00 | 24.29 | 64 |
| 24 | चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान | जींद में नये सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य | 30.00 | 4.00 | 1.42 | 36 |
| 25 | | बी.पी.एस. महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां (सोनीपत) का निर्माण - भवन का निर्माण (राज्य का योगदान) | 97.00 | 4.00 | 2.53 | 63 |
| 26 | | नालहर में मेवात मेडिकल कॉलेज का निर्माण - भवन का निर्माण (राज्य का योगदान) | 70.00 | 26.36 | 15.38 | 58 |
| 27 | | भिवानी में नये सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य | 108.50 | 68.50 | 1.13 | 2 |
| 28 | पुलिस | पुलिस स्टेशन | 300.00 | 292.00 | 202.29 | 69 |
| 29 | | कार्यालय भवन | 110.00 | 68.58 | 53.51 | 78 |
| 30 | विद्युत | बिजली परियोजना के लिए हरियाणा डिस्कॉम को ऋण- द.ह.बि.वि.नि.लि. को ऋण | 204.00 | 100.00 | 41.94 | 42 |
| 31 | | बिजली परियोजना के लिए हरियाणा डिस्कॉम को ऋण- उ.ह.बि.वि.नि.लि. को ऋण | 350.53 | 191.90 | 10.90 | 6 |
| 32 | जेल | जेलों का आधुनिकीकरण | 35.00 | 18.59 | 1.48 | 8 |
| 33 | जन स्वास्थ्य यांत्रिकी | ग्रामीण स्वच्छता- ग्राम में सीवरेज प्रणाली प्रदान करने के लिए महाग्राम योजना | 103.50 | 24.07 | 9.72 | 40 |
| 34 | विभाग | त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति- एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.- कवरेज सेंट्रल | 180.00 | 150.00 | 111.32 | 74 |
| 35 | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को शेयर पूंजी | 5.00 | 2.00 | 0.87 | 44 |

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | अनुमोदित आउटले | संशोधित आउटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आउटले की प्रतिशतता |
|----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 36 | ग्रामीण विकास | इंदिरा आवास योजना, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में नामांकित किया गया है, के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए आवासों के निर्माण/उन्नयन की योजना | 120.00 | 90.00 | 28.65 | 32 |
| 37 | कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग | अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कौशल प्रशिक्षण | 15.00 | 6.48 | 2.44 | 38 |
| 38 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता | अल्पसंख्यक बहुल जिलों मेवात और सिरसा के विकास के लिए योजना | 50.00 | 13.00 | 1.90 | 15 |
| 39 | खेल और युवा कल्याण | खेल पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना- सामान्य योजना | 5.00 | 4.55 | 3.54 | 78 |
| 40 | शहरी स्थानीय निकाय | प्राकृतिक आपदा के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे की योजना | 5.00 | 0.20 | 0.08 | 40 |
| 41 | | नया शहरी नवीकरण मिशन (AMRUT) | 540.00 | 384.00 | 193.44 | 50 |
| 42 | | स्मार्ट सिटी | 400.00 | 200.00 | 101.00 | 51 |
| 43 | | स्वच्छ भारत मिशन | 128.00 | 75.00 | 5.65 | 8 |
| 44 | | प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी | 160.00 | 155.00 | 117.44 | 76 |
| 45 | एस.सी., एस.टी., और अन्य ओ.बी.सी. का कल्याण | अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति | 200.00 | 70.00 | 48.41 | 69 |
| 46 | महिला बाल विकास | आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना (UDISHA प्रोजेक्ट) | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 33 |
| 47 | | किशोरियों के लिए योजना | 18.26 | 10.00 | 0.49 | 5 |
| 48 | | अनुसूचित जाति की किशोरियों को वित्तीय सहायता - राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला) के अंतर्गत | 10.00 | 5.00 | 0.04 | 1 |
| | | कुल | 5,005.09 | 3,213.01 | 1,745.04 | 54 |

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vii); पृष्ठ 61)

स्कीमों के ब्यौरे (₹ एक करोड़ और अधिक) जिनके लिए अनुमोदित बजट तथा संशोधित अनुमानों में समान प्रावधान रखा गया था परंतु वास्तविक व्यय प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | मूल/ संशोधित आऊटले | वास्तविक व्यय | आऊटले की प्रतिशतता |
|----------|-------------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|
| 1 | कृषि और किसान कल्याण | वर्ष 2010-11 के दौरान मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना पर योजना | 1.00 | 0.61 | 61 |
| 2 | | किसानों को मृदा और जल परीक्षण सेवाएँ प्रदान करना- सामान्य योजना | 4.00 | 0.69 | 17 |
| 3 | | कृषि इंजीनियरिंग सेवा के लिए योजना | 5.00 | 3.29 | 66 |
| 4 | | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 32.00 | 8.65 | 27 |
| 5 | | अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 8.00 | 1.15 | 14 |
| 6 | पुरातात्विक और संग्रहालय | पुरातात्विक उत्खनन अन्वेषण कार्यक्रम | 1.21 | 0.37 | 31 |
| 7 | विकास और पंचायत | सामुदायिक विकास-हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी की स्थापना जिसका नाम बदलकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी कर दिया गया | 3.10 | 2.00 | 65 |
| 8 | खाद्य और आपूर्ति | गोदामों का निर्माण - नाबार्ड अंशदान | 9.50 | 4.50 | 47 |
| 9 | वन | अभयारण्यों का सुदृढीकरण, विस्तार और सुधार | 5.00 | 1.46 | 29 |
| 10 | जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी | स्टॉक - स्टॉक को क्रेडिट | 5.00 | 1.76 | 35 |
| 11 | | जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि की वार्षिकी | 4.00 | 3.16 | 79 |
| 12 | | त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति-एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और सर्विलांस - डब्ल्यू.क्यू.एम.एस.) | 12.00 | 2.87 | 24 |
| 13 | | त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति-एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.-(सहायक गतिविधियाँ) | 12.00 | 4.97 | 41 |
| 14 | | राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना | 15.87 | 7.90 | 50 |
| 15 | | नीति आयोग के अंतर्गत सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों की स्थापना | 2.00 | 0.21 | 11 |
| 16 | जनसंपर्क | पंचकूला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित प्लॉट के लिए भुगतान | 10.00 | 0.42 | 4 |
| 17 | | अंबाला कैंट में युद्ध स्मारक का निर्माण | 40.00 | 20.64 | 52 |
| 18 | लोक निर्माण (भवन और सड़कें) | हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण योजना | 2.00 | 1.40 | 70 |

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | मूल/ संशोधित आऊटले | वास्तविक व्यय | आऊटले की प्रतिशतता |
|----------|--|--|--------------------|---------------|--------------------|
| 19 | लोक निर्माण (भवन और सड़कें) | हरियाणा राज्य में पुल और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण | 60.00 | 41.69 | 69 |
| 20 | | अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/ चौड़ीकरण और सुदृढीकरण/विशेष मरम्मत - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान | 20.20 | 14.14 | 70 |
| 21 | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा | रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों की विभिन्न शाखाओं तथा मुख्यालय के लिए - सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम | 1.50 | 0.74 | 49 |
| 22 | ग्रामीण विकास | इंदिरा आवास योजना (एन.आर.) जिसका नाम बदलकर प्रधान मंत्री आवास योजना कर दिया गया के तहत एस.सी./एस.टी. मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण/उन्नयन - सामान्य योजना | 80.00 | 23.05 | 29 |
| 23 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता | राजीव गांधी परिवार बीमा योजना जिसका नाम बदलकर राजीव गांधी परिवार बीमा योजना (एस.सी.) कर दिया गया के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता | 1.25 | 0.89 | 71 |
| 24 | खेल और युवा कल्याण | अनुसूचित जातियों के लिए बुनियादी ढाँचा योजना | 20.00 | 12.96 | 65 |
| 25 | तकनीकी शिक्षा | राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नीलोखेड़ी जिला करनाल की स्थापना | 5.00 | 3.91 | 78 |
| 26 | | चौधरी देवी लाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना | 7.00 | 5.21 | 74 |
| 27 | | राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रेवाड़ी की स्थापना | 2.50 | 1.31 | 52 |
| 28 | | मौजूदा पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण | 1.50 | 1.00 | 67 |
| 29 | परिवहन | केंद्रीय कार्यालय - सूचना प्रौद्योगिकी | 2.00 | 0.85 | 43 |
| 30 | | हरियाणा रोडवेज डिपो | 1.00 | 0.08 | 8 |
| 31 | शहरी स्थानीय निकाय | केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान | 301.61 | 107.48 | 36 |
| 32 | | केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता अनुदान | 172.65 | 70.39 | 41 |
| 33 | एस.सी., एस.टी., और अन्य ओ.बी.सी. का कल्याण | मुख्यालय स्टाफ - सूचना प्रौद्योगिकी | 1.00 | 0.44 | 44 |
| 34 | | कंप्यूटर के माध्यम से एस.सी./बी.सी. बेरोजगार युवाओं के टाइपिंग और डेटा एंट्री कौशल का उन्नयन | 1.50 | 0.53 | 35 |
| 35 | | हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम को शेयर पूंजी | 2.50 | 1.85 | 74 |
| | | कुल | 852.89 | 352.57 | 41 |

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (x); पृष्ठ 61)

स्कीमों के ब्यौरे (₹ एक करोड़ और अधिक) जिनके लिए बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय, संशोधित अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | स्कीम का नाम | अनुमोदित आऊटले | संशोधित आऊटले | वास्तविक व्यय | संशोधित आऊटले की प्रतिशतता |
|----------|-------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| 1 | कृषि और किसान कल्याण | हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत वैंट/ जी.एस.टी. प्लस मार्केट फीस की प्रतिपूर्ति | 20.00 | 97.04 | 75.00 | 77 |
| 2 | | गन्ना पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए योजना | 6.00 | 131.15 | 95.98 | 73 |
| 3 | जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का संस्थागत सुदृढीकरण | 4.00 | 13.80 | 5.34 | 39 |
| 4 | | त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति - एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.- आपदाएं | 2.00 | 3.20 | 2.44 | 76 |
| 5 | लोक निर्माण (भवन और सड़कें) | हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (पंचकूला) का निर्माण कार्य | 1.00 | 12.00 | 6.00 | 50 |
| 6 | ग्रामीण विकास | विधायक आदर्श ग्राम योजना | 50.20 | 180.20 | 42.00 | 23 |
| 7 | | डी.आर.डी.ए. प्रशासन | 5.00 | 10.00 | 5.92 | 59 |
| 8 | शहरी स्थानीय निकाय | राज्य की नगर पालिकाओं में नगर पालिका केंद्रों में चौपालों/सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन के लिए योजना | 2.40 | 3.00 | 2.33 | 78 |
| 9 | | राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिका समिति को सहायता अनुदान | 187.00 | 476.00 | 256.40 | 54 |
| 10 | | राजीव आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति घटक - नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना अनुसूचित जाति कर दिया गया | 24.00 | 102.85 | 74.66 | 73 |
| | | कुल | 301.60 | 1,029.24 | 566.07 | 55 |

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (ii); पृष्ठ 62)

स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

| क्र. सं. | स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष | कुल बजट | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | |
| | राजस्व (दत्तमत) | | | | |
| 1 | मुख्यालय स्टाफ भू-अभिलेख कृषि जनगणना (2029-51-103-96) | 1.96 | 0.62 | 1.34 | 68 |
| 2 | स्थापना व्यय (2029-51-103-97-98) | 1.46 | 0.25 | 1.21 | 83 |
| 3 | मुख्यालय स्टाफ (2029-51-103-99) | 9.45 | 6.05 | 3.40 | 36 |
| 4 | नए पटवार खाना का निर्माण (2029-51-800-97-51) | 76.08 | 2.19 | 73.89 | 97 |
| 5 | स्थापना व्यय (2052-51-099-99-98) | 38.51 | 33.93 | 4.58 | 12 |
| 6 | उप-मंडल स्थापना (2053-51-094-99) | 31.59 | 25.04 | 6.55 | 21 |
| 7 | आयुक्त स्थापना (2053-51-101-99) | 15.38 | 12.01 | 3.37 | 22 |
| 8 | ग्रामीण क्षेत्र में मानव निर्मित/प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त संपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता/अनुग्रह राहत/क्षतिपूर्ति (2235-01-200-99) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100 |
| 9 | चकबंदी का समेकन (2506-51-102-98) | 13.24 | 10.91 | 2.33 | 18 |
| 10 | सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण और सर्वेक्षण एवं निपटान रिकॉर्ड का अद्यतनीकरण (2506-51-103-98-99) | 10.50 | 5.50 | 5.00 | 48 |
| 11 | मेवात क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए योजना (2705-51-101-99) | 36.00 | 16.20 | 19.80 | 55 |
| 12 | शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान (2705-51-102-99) | 17.85 | 12.50 | 5.35 | 30 |
| 13 | मेवात क्षेत्र की अनुसूचित जातियों के एकीकृत विकास के लिए सहायता अनुदान (2705-51-789-99) | 4.00 | 1.80 | 2.20 | 55 |
| 14 | गज़ेटियर्स (3454-02-110-99) | 2.57 | 1.49 | 1.08 | 42 |
| 15 | कृषि सुधार राजस्व (3475-51-201-99) | 3.26 | 2.09 | 1.17 | 36 |
| | कुल | 264.85 | 130.58 | 134.27 | 51 |

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iii); पृष्ठ 62)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विस्तृत शीर्ष स्कीम-वार (लेखा शीर्ष) | वर्ष | कुल बजट | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|----------|--|---------|---------|------|-------|----------------|
| 1 | मुख्यालय स्टाफ भू-अभिलेख कृषि जनगणना (2029-51-103-96) | 2016-17 | 1.09 | 0.83 | 0.26 | 24 |
| | | 2017-18 | 1.35 | 0.41 | 0.94 | 70 |
| | | 2018-19 | 1.96 | 0.62 | 1.34 | 68 |
| 2 | मुख्यालय स्टाफ (2029-51-103-99) | 2016-17 | 13.99 | 6.80 | 7.19 | 51 |
| | | 2017-18 | 3.21 | 1.80 | 1.41 | 44 |
| | | 2018-19 | 9.45 | 6.05 | 3.40 | 36 |
| 3 | चेकिंग स्टाफ (2030-02-001-99-51) | 2016-17 | 1.44 | 1.07 | 0.37 | 26 |
| | | 2017-18 | 1.47 | 1.30 | 0.17 | 12 |
| | | 2018-19 | 1.69 | 1.23 | 0.46 | 27 |
| 4 | चेकिंग स्टाफ (2030-02-102-99-51) | 2016-17 | 4.00 | 1.75 | 2.25 | 56 |
| | | 2017-18 | 2.66 | 1.76 | 0.90 | 34 |
| | | 2018-19 | 2.20 | 1.76 | 0.44 | 20 |
| 5 | अनुलेखन एजेंसी स्थापना (2053-51-094-98) | 2016-17 | 2.81 | 2.01 | 0.80 | 28 |
| | | 2017-18 | 2.75 | 1.72 | 1.03 | 37 |
| | | 2018-19 | 2.29 | 1.64 | 0.65 | 28 |
| 6 | ग्रामीण क्षेत्र में मानव निर्मित/प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त संपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता/ अनुदान राहत/क्षतिपूर्ति (2235-01-200-99) | 2016-17 | 11.44 | 0.00 | 11.44 | 100 |
| | | 2017-18 | 3.00 | 0.06 | 2.94 | 98 |
| | | 2018-19 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100 |
| 7 | स्थापना शुल्क और पुनर्वास योजनाएं जिला और राजस्व स्टाफ (2235-01-202-99) | 2016-17 | 2.45 | 1.53 | 0.92 | 37 |
| | | 2017-18 | 2.25 | 1.60 | 0.65 | 29 |
| | | 2018-19 | 1.93 | 1.68 | 0.25 | 13 |
| 8 | कृषि सुधार राजस्व (3475-51-201-99) | 2016-17 | 3.32 | 2.14 | 1.18 | 35 |
| | | 2017-18 | 3.36 | 2.28 | 1.08 | 32 |
| | | 2018-19 | 3.26 | 2.09 | 1.17 | 36 |

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (ii); पृष्ठ 64)

स्कीमों के विवरण जिनमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

| क्र. सं. | स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष | कुल बजट | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|----------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | स्थापना व्यय (2059-80-001-95-98) | 11.20 | 8.71 | 2.49 | 22 |
| 2 | कार्यान्वयन (2059-80-001-96) | 378.99 | 313.23 | 65.76 | 17 |
| 3 | न्याय प्रशासन (2216-05-053-99-99) | 4.00 | 0.80 | 3.20 | 80 |
| 4 | हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क के लिए राहत (3054-01-337-98) | 2.50 | 0.93 | 1.57 | 63 |
| 5 | राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का रखरखाव और मरम्मत (3054-01-337-99) | 4.97 | 0.22 | 4.75 | 96 |
| 6 | सड़क कार्य -एन.ए.- (3054-03-337-51) | 55.01 | 19.42 | 35.59 | 65 |
| 7 | ग्रामीण सड़कें (3054-04-337-98) | 530.01 | 332.48 | 197.53 | 37 |
| 8 | जिला सड़कें (3054-04-337-99) | 40.01 | 20.36 | 19.65 | 49 |
| | कुल राजस्व | 1,026.69 | 696.15 | 330.54 | 32 |
| 1 | रोज़गार भवन का निर्माण (4059-01-051-68) | 5.00 | 0.08 | 4.92 | 98 |
| 2 | राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण (4059-01-051-69) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100 |
| 3 | जिला प्रशासन (4059-01-051-99) | 232.30 | 148.62 | 83.68 | 36 |
| 4 | कार्यालय भवन (गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा) के निर्माण के लिए भूमि की खरीद (4059-01-201-99) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100 |
| 5 | ट्रेजरी और लेखा प्रशासन (4059-60-051-72) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| 6 | जेलें (4059-60-051-96) | 70.00 | 53.72 | 16.28 | 23 |
| 7 | आबकारी एवं कराधान (4059-60-051-97) | 20.00 | 15.33 | 4.67 | 23 |
| 8 | न्याय प्रशासन (4059-60-051-98) | 93.80 | 61.29 | 32.51 | 35 |
| 9 | माध्यमिक विद्यालय भवन (4202-01-202-99) | 130.00 | 99.56 | 30.44 | 23 |
| 10 | पॉलिटेक्निकों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण (4202-02-789-99) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 11 | भवन (युवा छात्रावास) (4202-03-101-99) | 10.00 | 1.86 | 8.14 | 81 |
| 12 | भवन (पुरातत्व) (4202-04-106-99) | 10.00 | 3.91 | 6.09 | 61 |
| 13 | स्वर्ण जयंती योजना के तहत भवनों का निर्माण (4210-03-101-90) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 14 | सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों/अस्पतालों के भवनों का निर्माण (4210-03-101-91) | 80.00 | 4.19 | 75.81 | 95 |
| 15 | सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के भवन का निर्माण/मरम्मत (4210-03-101-92) | 5.00 | 0.94 | 4.06 | 81 |
| 16 | उप-मंडल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैटों के लिए स्वर्ण जयंती योजना (4216-01-106-76) | 20.00 | 1.00 | 19.00 | 95 |
| 17 | लोक निर्माण कार्य (4216-01-106-96) | 15.00 | 8.91 | 6.09 | 41 |
| 18 | जेलें (4216-01-106-97) | 51.20 | 39.25 | 11.95 | 23 |
| 19 | जिला प्रशासन (4216-01-106-98) | 60.00 | 15.73 | 44.27 | 74 |
| 20 | न्याय प्रशासन (4216-01-106-99) | 55.00 | 23.94 | 31.06 | 56 |

| क्र. सं. | स्कीम का नाम तथा लेखा शीर्ष | कुल बजट | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 21 | हरियाणा में निदेशालय और फील्ड कार्यालयों के निर्माण के लिए संस्थागत भूखंड की खरीद संस्थागत की खरीद के रूप में नामांकित (4235-02-101-93) | 5.00 | 0.21 | 4.79 | 96 |
| 22 | युवतियों/महिलाओं और निराश्रित महिलाओं तथा विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र (4235-02-103-99) | 8.00 | 0.03 | 7.97 | 100 |
| 23 | अनाथ और वृद्ध के कल्याण के लिए घर जिसका नाम बदलकर वृद्ध और शिशु के लिए घर रेवाड़ी (स्वर्ण जयंती परियोजना) कर दिया गया (4235-02-104-99) | 6.00 | 0.08 | 5.92 | 99 |
| 24 | श्रम न्यायालय परिसर का निर्माण (4250-51-201-96) | 3.00 | 1.28 | 1.72 | 57 |
| 25 | अनुसूचित जाति विंग के लिए प्रशिक्षण भवन (4250-51-789-98) | 17.00 | 12.24 | 4.76 | 28 |
| 26 | नई आई.टी.आई. (स्वर्ण जयंती) का निर्माण (4250-51-800-90) | 30.00 | 14.29 | 15.71 | 52 |
| 27 | कृषि कार्यालय भवनों का निर्माण (4401-51-113-97) | 10.44 | 2.09 | 8.35 | 80 |
| 28 | हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब (5053-60-800-96) | 120.00 | 38.23 | 81.77 | 68 |
| 29 | एयरोड्रोम का रखरखाव (5053-60-800-99) | 50.00 | 1.28 | 48.72 | 97 |
| 30 | राज्य योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-03-101-81-99) | 10.00 | 5.87 | 4.13 | 41 |
| 31 | सी.आर.एफ. के तहत सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण और उन्नयन (5054-03-337-87) | 200.00 | 95.14 | 104.86 | 52 |
| 32 | नाबार्ड योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-04-101-84-97) | 30.00 | 19.11 | 10.89 | 36 |
| 33 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-04-101-84-98) | 60.00 | 41.69 | 18.31 | 31 |
| 34 | नाबार्ड योजना के लिए सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और बाईपास का निर्माण (5054-04-337-98-97) | 170.00 | 134.32 | 35.68 | 21 |
| 35 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और बाईपास का निर्माण (5054-04-337-98-98) | 70.00 | 49.04 | 20.96 | 30 |
| 36 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण (5054-04-337-99-98) | 70.00 | 49.53 | 20.47 | 29 |
| 37 | राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण और सुधार (5054-04-337-99-99) | 70.00 | 57.61 | 12.39 | 18 |
| 38 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान (5054-04-789-99-97) | 20.20 | 14.14 | 6.06 | 30 |
| 39 | नाबार्ड अंशदान (5054-04-789-99-98) | 50.00 | 40.47 | 9.53 | 19 |
| 40 | राज्य अंशदान (5054-04-789-99-99) | 60.00 | 8.68 | 51.32 | 86 |
| 41 | हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य शेयर प्रदान करना (5054-80-800-98) | 200.00 | 6.13 | 193.87 | 97 |
| | कुल पूंजी | 2,163.94 | 1,069.79 | 1,094.15 | 51 |

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 64)

पिछले तीन वर्षों की सतत् बचतों से संबंधित शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विस्तृत शीर्ष स्कीम-वार (लेखा शीर्ष) | वर्ष | कुल बजट | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|----------|---|---------|---------|--------|--------|----------------|
| 1 | वास्तुकला इकाई - स्थापना व्यय - (2059-80-001-95-98) | 2016-17 | 11.59 | 8.73 | 2.86 | 25 |
| | | 2017-18 | 10.50 | 8.32 | 2.18 | 21 |
| | | 2018-19 | 11.20 | 8.71 | 2.49 | 22 |
| 2 | कार्यान्वयन (2059-80-001-96) | 2016-17 | 414.32 | 310.10 | 104.22 | 25 |
| | | 2017-18 | 398.47 | 310.51 | 87.96 | 22 |
| | | 2018-19 | 378.99 | 313.23 | 65.76 | 17 |
| 3 | मशीनरी (2059-80-052-96) | 2016-17 | 9.32 | 7.40 | 1.92 | 21 |
| | | 2017-18 | 9.51 | 6.03 | 3.48 | 37 |
| | | 2018-19 | 5.29 | 4.68 | 0.61 | 12 |
| 4 | हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क हेतु राहत (3054-01-337-98) | 2016-17 | 4.00 | 1.60 | 2.40 | 60 |
| | | 2017-18 | 3.00 | 1.46 | 1.54 | 51 |
| | | 2018-19 | 2.50 | 0.93 | 1.57 | 63 |
| 5 | राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का रखरखाव और मरम्मत (3054-01-337-99) | 2016-17 | 7.00 | 1.56 | 5.44 | 78 |
| | | 2017-18 | 4.79 | 2.40 | 2.39 | 50 |
| | | 2018-19 | 4.97 | 0.22 | 4.75 | 96 |
| 6 | ग्रामीण सड़कें - (3054-04-337-98) | 2016-17 | 528.15 | 470.22 | 57.93 | 11 |
| | | 2017-18 | 510.05 | 449.36 | 60.69 | 12 |
| | | 2018-19 | 530.01 | 332.48 | 197.53 | 37 |
| 7 | रोज़गार भवन का निर्माण (4059-01-051-68) | 2016-17 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 100 |
| | | 2017-18 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 100 |
| | | 2018-19 | 5.00 | 0.08 | 4.92 | 98 |
| 8 | जिला प्रशासन - (4059-01-051-99) | 2016-17 | 140.00 | 38.88 | 101.12 | 72 |
| | | 2017-18 | 150.00 | 53.63 | 96.37 | 64 |
| | | 2018-19 | 232.30 | 148.62 | 83.68 | 36 |
| 9 | माध्यमिक विद्यालय भवन - (4202-01-202-99) | 2016-17 | 25.00 | 11.76 | 13.24 | 53 |
| | | 2017-18 | 186.00 | 111.71 | 74.29 | 40 |
| | | 2018-19 | 130.00 | 99.56 | 30.44 | 23 |
| 10 | पॉलिटेक्निकों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण - (4202-02-789-99) | 2016-17 | 10.00 | 1.32 | 8.68 | 87 |
| | | 2017-18 | 5.00 | 0.66 | 4.34 | 87 |
| | | 2018-19 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 11 | भवन (युवा छात्रावास) (4202-03-101-99) | 2016-17 | 10.00 | 2.40 | 7.60 | 76 |
| | | 2017-18 | 10.00 | 2.48 | 7.52 | 75 |
| | | 2018-19 | 10.00 | 1.86 | 8.14 | 81 |
| 12 | सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों/अस्पतालों का निर्माण (4210-03-101-91) | 2016-17 | 9.20 | 1.12 | 8.08 | 88 |
| | | 2017-18 | 50.50 | 4.78 | 45.72 | 91 |
| | | 2018-19 | 80.00 | 4.19 | 75.81 | 95 |
| 13 | जेलें (4216-01-106-97) | 2016-17 | 25.00 | 10.22 | 14.78 | 59 |
| | | 2017-18 | 25.00 | 5.96 | 19.04 | 76 |
| | | 2018-19 | 51.20 | 39.25 | 11.95 | 23 |
| 14 | जिला प्रशासन (4216-01-106-98) | 2016-17 | 45.00 | 24.77 | 20.23 | 45 |
| | | 2017-18 | 75.00 | 16.72 | 58.28 | 78 |
| | | 2018-19 | 60.00 | 15.73 | 44.27 | 74 |

| क्र. सं. | विस्तृत शीर्ष स्कीम-वार (लेखा शीर्ष) | वर्ष | कुल बजट | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|----------|--|---------|---------|-------|--------|----------------|
| 15 | न्याय प्रशासन (4216-01-106-99) | 2016-17 | 60.00 | 26.26 | 33.74 | 56 |
| | | 2017-18 | 60.00 | 19.75 | 40.25 | 67 |
| | | 2018-19 | 55.00 | 23.94 | 31.06 | 56 |
| 16 | श्रम न्यायालय परिसर का निर्माण (4250-51-201-96) | 2016-17 | 3.50 | 1.90 | 1.60 | 46 |
| | | 2017-18 | 3.00 | 2.43 | 0.57 | 19 |
| | | 2018-19 | 3.00 | 1.28 | 1.72 | 57 |
| 17 | नई आई.टी.आई. (स्वर्ण जयंती) का निर्माण (4250-51-800-90) | 2016-17 | 28.00 | 10.85 | 17.15 | 61 |
| | | 2017-18 | 47.00 | 28.67 | 18.33 | 39 |
| | | 2018-19 | 30.00 | 14.29 | 15.71 | 52 |
| 18 | हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब (5053-60-800-96) | 2016-17 | 50.00 | 1.82 | 48.18 | 96 |
| | | 2017-18 | 50.00 | 4.08 | 45.92 | 92 |
| | | 2018-19 | 120.00 | 38.23 | 81.77 | 68 |
| 19 | एयरोड्रोम का रखरखाव (5053-60-800-99) | 2016-17 | 20.00 | 9.00 | 11.00 | 55 |
| | | 2017-18 | 20.00 | 5.18 | 14.82 | 74 |
| | | 2018-19 | 50.00 | 1.28 | 48.72 | 97 |
| 20 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-03-101-81-98) | 2016-17 | 140.40 | 19.21 | 121.19 | 86 |
| | | 2017-18 | 15.00 | 7.38 | 7.62 | 51 |
| | | 2018-19 | 2.00 | 1.40 | 0.60 | 30 |
| 21 | नाबार्ड योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-04-101-84-97) | 2016-17 | 22.00 | 8.89 | 13.11 | 60 |
| | | 2017-18 | 30.00 | 22.24 | 7.76 | 26 |
| | | 2018-19 | 30.00 | 19.11 | 10.89 | 36 |
| 22 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-04-101-84-98) | 2016-17 | 162.00 | 22.17 | 139.83 | 86 |
| | | 2017-18 | 100.00 | 64.77 | 35.23 | 35 |
| | | 2018-19 | 60.00 | 41.69 | 18.31 | 31 |
| 23 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और बाईपास का निर्माण (5054-04-337-98-98) | 2016-17 | 178.40 | 24.42 | 153.98 | 86 |
| | | 2017-18 | 40.00 | 5.00 | 35.00 | 88 |
| | | 2018-19 | 70.00 | 49.04 | 20.96 | 30 |
| 24 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तहत निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण (5054-04-337-99-98) | 2016-17 | 179.40 | 24.55 | 154.85 | 86 |
| | | 2017-18 | 40.00 | 4.00 | 36.00 | 90 |
| | | 2018-19 | 70.00 | 49.53 | 20.47 | 29 |
| 25 | राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण और सुधार (5054-04-337-99-99) | 2016-17 | 60.00 | 49.93 | 10.07 | 17 |
| | | 2017-18 | 70.00 | 55.93 | 14.07 | 20 |
| | | 2018-19 | 70.00 | 57.61 | 12.39 | 18 |
| 26 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान (5054-04-789-99-97) | 2016-17 | 219.60 | 30.05 | 189.55 | 86 |
| | | 2017-18 | 35.00 | 18.51 | 16.49 | 47 |
| | | 2018-19 | 20.20 | 14.14 | 6.06 | 30 |
| 27 | नाबार्ड अंशदान (5054-04-789-99-98) | 2016-17 | 124.00 | 81.45 | 42.55 | 34 |
| | | 2017-18 | 50.00 | 40.55 | 9.45 | 19 |
| | | 2018-19 | 50.00 | 40.47 | 9.53 | 19 |

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3; पृष्ठ 65)

चयनित अनुदानों के बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में देरी का विवरण

| क्र. सं. | मांग संख्या और नामकरण | कार्यालय का नाम | वित्त विभाग के मानदंडों के अनुसार नियत तारीख | प्रस्तुत अनुमान की वास्तविक तिथि | दिन में देरी |
|----------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------|
| 1 | 4/2053 | अपर मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग | 15 अक्टूबर 2017 से 05 नवंबर 2017 | 19 नवंबर 2017 | 14 |
| 2 | 4/3475 | | | 22 दिसंबर 2017 | 47 |
| 3 | 4/3454 | | | 27 नवंबर 2017 | 22 |
| 4 | 4/2245 | | | 27 नवंबर 2017 | 22 |
| 5 | 4/2029 | | | 27 नवंबर 2017 | 22 |
| 6 | 4/2075 | | | 27 दिसंबर 2017 | 52 |
| 7 | 4/2052 | | | 27 नवंबर 2017 | 22 |
| 8 | 4/3451 | | | 27 नवंबर 2017 | 22 |
| 9 | 4/2030 | | | 01 दिसंबर 2017 | 26 |
| 10 | 4/2075 | | | 20 नवंबर 2017 | 15 |
| 11 | 4/2029 | निदेशक भू-अभिलेख | | 21 दिसंबर 2017 | 46 |
| 12 | 4/2506 | | | 01 जनवरी 2018 | 56 |
| 13 | 8/5053 | प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सलाहकार, नागरिक उड्डयन हरियाणा | | 11 दिसंबर 2017 | 36 |
| 14 | 8/2059 | वास्तुकला विभाग | | 06 दिसंबर 2017 | 31 |
| 15 | 8/5054 | प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) | | 11 दिसंबर 2017 | 37 |
| 16 | 8/4216 | | | 11 दिसंबर 2017 | 37 |

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 68)

31 मार्च 2019 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | शीर्ष का नाम | वर्ष | कुल प्रदत्त अनुदान | | देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र | | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र | | बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र | |
|----------|---|---------|--------------------|----------|--------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | | मदें | राशि | मदें | राशि | मदें | राशि | मदें | राशि |
| 1 | पुलिस (2055) | 2017-18 | 3 | 71.22 | 3 | 71.22 | 1 | 18.15 | 2 | 53.07 |
| 2 | सामान्य शिक्षा (2202) | 2014-15 | 739 | 1,382.54 | 8 | 1.02 | - | - | 8 | 1.02 |
| | | 2015-16 | 1,063 | 1,542.62 | 37 | 93.15 | 4 | 15.92 | 33 | 77.23 |
| | | 2016-17 | 1,332 | 1,618.88 | 67 | 195.12 | 41 | 146.83 | 26 | 48.29 |
| | | 2017-18 | 1,385 | 1,656.36 | 1385 | 1,656.36 | 1,363 | 1,579.16 | 22 | 77.19 |
| 3 | तकनीकी शिक्षा (2203) | 2016-17 | 102 | 227.06 | 10 | 43.47 | 7 | 26.97 | 3 | 16.50 |
| | | 2017-18 | 90 | 218.18 | 90 | 218.18 | 81 | 181.38 | 9 | 36.80 |
| 4 | खेल एवं युवा सेवाएं (2204) | 2015-16 | 130 | 124.02 | 69 | 32.78 | 44 | 27.47 | 25 | 5.31 |
| | | 2016-17 | 56 | 90.69 | 51 | 82.66 | 30 | 74.39 | 21 | 8.27 |
| | | 2017-18 | 229 | 73.14 | 229 | 73.14 | 212 | 58.80 | 17 | 14.34 |
| 5 | कला एवं संस्कृति (2205) | 2015-16 | 7 | 3.51 | 4 | 3.31 | 3 | 3.01 | 1 | 0.30 |
| | | 2016-17 | 4 | 10.00 | 4 | 10.00 | 2 | 4.50 | 2 | 5.50 |
| | | 2017-18 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 2 | 0.40 | 3 | 4.55 |
| 6 | चिकित्सा (2210) | 2016-17 | 78 | 935.68 | 2 | 1.11 | 1 | 0.36 | 1 | 0.75 |
| | | 2017-18 | 82 | 1,031.67 | 82 | 1,031.67 | 56 | 694.22 | 26 | 337.45 |
| 7 | परिवार कल्याण (2211) | 2017-18 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | - | - | 1 | 0.03 |
| 8 | शहरी विकास (2217) | 2012-13 | 96 | 1,274.01 | 27 | 363.13 | 3 | 22.48 | 24 | 340.65 |
| | | 2013-14 | 73 | 1,120.80 | 24 | 436.30 | 4 | 62.41 | 20 | 373.89 |
| | | 2014-15 | 87 | 1,115.43 | 46 | 458.31 | 18 | 273.11 | 28 | 185.20 |
| | | 2015-16 | 122 | 1,478.70 | 76 | 614.93 | 15 | 192.62 | 61 | 422.31 |
| | | 2016-17 | 219 | 2,227.25 | 177 | 1,494.29 | 21 | 161.76 | 156 | 1,332.54 |
| | | 2017-18 | 395 | 2,781.01 | 395 | 2,781.01 | 54 | 1,017.42 | 341 | 1,763.59 |
| 9 | सूचना एवं प्रचार (2220) | 2017-18 | 70 | 16.25 | 70 | 16.25 | 11 | 0.55 | 59 | 15.70 |
| 10 | एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों का कल्याण (2225) | 2017-18 | 1,272 | 107.66 | 1272 | 107.66 | 1271 | 107.64 | 1 | 0.02 |
| 11 | श्रम एवं रोजगार (2230) | 2017-18 | 4 | 23.07 | 4 | 23.07 | 2 | 16.35 | 2 | 6.72 |
| 12 | सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (2235) | 2014-15 | 33 | 43.71 | 4 | 12.28 | 2 | 0.75 | 2 | 11.53 |
| | | 2015-16 | 355 | 50.55 | 8 | 4.77 | 2 | 1.42 | 6 | 3.35 |
| | | 2016-17 | 137 | 4.84 | 2 | 0.12 | - | - | 2 | 0.12 |
| | | 2017-18 | 38 | 34.20 | 38 | 34.20 | 19 | 19.52 | 19 | 14.68 |
| 13 | फसल पालन (2401) | 2017-18 | 16 | 153.98 | 16 | 153.98 | - | - | 16 | 153.98 |
| 14 | मृदा और जल संरक्षण (2402) | 2016-17 | 2 | 0.59 | 2 | 0.59 | - | - | 2 | 0.59 |
| | | 2017-18 | 84 | 1.20 | 84 | 1.20 | 73 | 1.00 | 11 | 0.20 |
| 15 | पशु पालन (2403) | 2016-17 | 74 | 88.02 | 33 | 1.16 | 29 | 0.96 | 4 | 0.20 |
| | | 2017-18 | 86 | 74.08 | 86 | 74.08 | 72 | 50.30 | 14 | 23.78 |

| क्र. सं. | शीर्ष का नाम | वर्ष | कुल प्रदत्त अनुदान | | देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र | | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र | | बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र | |
|------------|--|---------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | मदें | राशि | मदें | राशि | मदें | राशि | मदें | राशि |
| 16 | मछली पालन (2405) | 2017-18 | 21 | 1.42 | 21 | 1.42 | 17 | 1.28 | 4 | 0.14 |
| 17 | वानिकी और वन्यजीव (2406) | 2017-18 | 3 | 10.71 | 3 | 10.71 | - | - | 3 | 10.71 |
| 18 | सहकारिता (2425) | 2017-18 | 5 | 155.80 | 5 | 155.80 | - | - | 5 | 155.80 |
| 19 | विशेष प्रोग्राम एवं ग्रामीण विकास (2501) | 2015-16 | 103 | 64.19 | 26 | 8.17 | 22 | 7.07 | 4 | 1.10 |
| | | 2016-17 | 87 | 69.16 | 51 | 58.22 | 31 | 11.13 | 20 | 47.09 |
| | | 2017-18 | 112 | 135.06 | 112 | 135.06 | 57 | 29.23 | 55 | 105.83 |
| 20 | ग्रामीण रोजगार (2505) | 2014-15 | 165 | 333.36 | 3 | 1.47 | - | - | 3 | 1.47 |
| | | 2015-16 | 48 | 285.52 | 22 | 110.68 | 11 | 19.88 | 11 | 90.80 |
| | | 2016-17 | 7 | 218.78 | 2 | 119.22 | - | - | 2 | 119.22 |
| | | 2017-18 | 15 | 211.07 | 15 | 211.07 | - | - | 15 | 211.07 |
| 21 | अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515) | 2009-10 | 68 | 366.26 | 1 | 10.85 | - | - | 1 | 10.85 |
| | | 2010-11 | 48 | 267.83 | 9 | 42.83 | - | - | 9 | 42.83 |
| | | 2011-12 | 222 | 722.40 | 62 | 182.72 | 21 | 45.72 | 41 | 137.00 |
| | | 2012-13 | 266 | 882.65 | 63 | 172.06 | 24 | 84.04 | 39 | 88.02 |
| | | 2013-14 | 249 | 1,263.49 | 93 | 499.76 | 17 | 29.24 | 76 | 470.52 |
| | | 2014-15 | 3,871 | 1,191.66 | 104 | 634.63 | 45 | 404.22 | 59 | 230.40 |
| | | 2015-16 | 3,845 | 1,261.94 | 169 | 583.90 | 67 | 376.10 | 102 | 207.80 |
| | | 2016-17 | 4,166 | 2,262.96 | 187 | 1,238.33 | 45 | 781.49 | 142 | 456.84 |
| 22 | कमांड एरिया डेवलपमेंट (2705) | 2015-16 | 21 | 212.59 | 2 | 1.57 | - | - | 2 | 1.57 |
| | | 2016-17 | 20 | 154.10 | 3 | 2.33 | - | - | 3 | 2.33 |
| | | 2017-18 | 19 | 75.45 | 19 | 75.45 | 18 | 67.95 | 1 | 7.50 |
| 23 | ग्राम और लघु उद्योग (2851) | 2016-17 | 20 | 29.70 | 3 | 6.17 | 1 | 0.50 | 2 | 5.67 |
| 24 | उद्योग (2852) | 2015-16 | 28 | 31.02 | 6 | 22.30 | 5 | 18.61 | 1 | 3.69 |
| | | 2016-17 | 36 | 61.70 | 16 | 34.88 | 6 | 18.88 | 10 | 16.00 |
| | | 2017-18 | 23 | 126.50 | 23 | 126.50 | 17 | 54.61 | 6 | 71.89 |
| 25 | ऊर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत (2810) | 2017-18 | 12 | 0.71 | 12 | 0.71 | 11 | 0.70 | 1 | 0.01 |
| 26 | नागर विमानन (3053) | 2017-18 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0.30 | 1 | 0.70 |
| 27 | अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425) | 2015-16 | 52 | 21.94 | 5 | 4.65 | 1 | 0.51 | 4 | 4.14 |
| | | 2016-17 | 37 | 13.05 | 2 | 0.83 | 1 | 0.52 | 1 | 0.31 |
| | | 2017-18 | 31 | 14.13 | 31 | 14.13 | 22 | 9.71 | 9 | 4.42 |
| 28 | पारिस्थितिकी और पर्यावरण (3435) | 2014-15 | 12 | 2.17 | 1 | 0.10 | - | - | 1 | 0.10 |
| | | 2015-16 | 8 | 2.15 | 4 | 0.35 | 2 | 0.15 | 2 | 0.20 |
| | | 2016-17 | 4 | 1.62 | 4 | 1.62 | 2 | 1.02 | 2 | 0.60 |
| | | 2017-18 | 3 | 1.37 | 3 | 1.37 | - | - | 3 | 1.37 |
| 29 | नागरिक आपूर्ति (3456) | 2015-16 | 28 | 8.22 | 26 | 3.08 | 5 | 3.02 | 21 | 0.06 |
| | | 2017-18 | 14 | 0.04 | 14 | 0.04 | 13 | 0.03 | 1 | 0.01 |
| कुल | | | 25,792 | 31,175.2 | 9,187 | 15,697.06 | 7,455 | 7,227.57 | 1,732 | 8,469.49 |

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 68)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान |
|----------|---|-------------------------------------|----------------|
| | सहायता प्राप्त निजी कॉलेज | | |
| 1 | जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला कैंट | 2017-18 | 1.03 |
| 2 | एस.डी. कॉलेज, अंबाला कैंट | 2016-17 | 5.87 |
| | | 2017-18 | 10.31 |
| 3 | आर्य गर्ल्स कॉलेज, अंबाला कैंट | 2017-18 | 3.22 |
| 4 | डी.ए.वी. कॉलेज, अंबाला शहर | 2016-17 | 6.08 |
| 5 | एस.ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर | 2016-17 | 4.85 |
| | | 2017-18 | 6.94 |
| 6 | एम.डी.एस.डी. कॉलेज, अंबाला शहर | 2016-17 | 2.23 |
| | | 2017-18 | 2.57 |
| 7 | एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, अंबाला शहर | 2016-17 | 1.55 |
| | | 2017-18 | 1.87 |
| 8 | एस.एम. लुबाना खालसा गर्ल्स कॉलेज, बरारा, अंबाला | 2016-17 | 2.09 |
| | | 2017-18 | 2.94 |
| 9 | डी.ए.वी. कॉलेज, नैनौला, अंबाला | 2016-17 | 1.03 |
| | | 2017-18 | 1.07 |
| 10 | एम.पी.एन. कॉलेज, मुलाना (अंबाला) | 2016-17 | 2.35 |
| | | 2017-18 | 3.17 |
| 11 | डी.ए.वी. कॉलेज, करनाल | 2015-16 | 2.45 |
| | | 2017-18 | 2.34 |
| 12 | डॉ. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, करनाल | 2014-15 | 0.01 |
| | | 2017-18 | 0.45 |
| 13 | के.वी.डी.ए.वी. महिलाओं के लिए कॉलेज, करनाल | 2016-17 | 3.44 |
| | | 2017-18 | 5.10 |
| 14 | दयाल सिंह कॉलेज, करनाल | 2016-17 | 6.23 |
| | | 2017-18 | 9.08 |
| 15 | गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल | 2016-17 | 2.36 |
| | | 2017-18 | 1.86 |
| 16 | आईबी कॉलेज, पानीपत | 2016-17 | 3.66 |
| | | 2017-18 | 4.86 |
| 17 | आर्य कॉलेज, पानीपत | 2016-17 | 4.01 |
| | | 2017-18 | 5.86 |
| 18 | गांधी आदर्श कॉलेज, समालखा, पानीपत | 2016-17 | 0.28 |
| | | 2017-18 | 0.70 |
| 19 | वैश्य गर्ल्स कॉलेज, समालखा (पानीपत) | 2016-17 | 1.04 |
| | | 2017-18 | 1.44 |
| 20 | सी.आर. किसान कॉलेज, जींद | 2016-17 | 3.30 |
| | | 2017-18 | 3.62 |
| 21 | हिंदू कन्या महाविद्यालय जिंद | 2016-17 | 2.08 |
| 22 | एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद | 2016-17 | 1.11 |
| | | 2017-18 | 1.35 |
| 23 | एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर | 2016-17 | 6.76 |
| | | 2017-18 | 8.51 |
| 24 | डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर | 2016-17 | 4.16 |
| | | 2017-18 | 5.62 |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान |
|----------|--|-------------------------------------|----------------|
| | सहायता प्राप्त निजी कॉलेज | | |
| 25 | हिंदू गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी, यमुनानगर | 2016-17 | 2.46 |
| | | 2017-18 | 2.93 |
| 26 | डी.ए.वी. कॉलेज, साढौरा | 2016-17 | 1.73 |
| 27 | आई.जी. नेशनल कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र | 2016-17 | 2.53 |
| | | 2017-18 | 2.94 |
| 28 | भगवान परशु राम कॉलेज, कुरुक्षेत्र | 2016-17 | 3.35 |
| | | 2017-18 | 3.68 |
| 29 | एम.एन. कॉलेज, शाहाबाद, कुरुक्षेत्र | 2016-17 | 2.01 |
| | | 2017-18 | 2.82 |
| 30 | आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र | 2016-17 | 2.95 |
| | | 2017-18 | 3.83 |
| 31 | डी.ए.वी. कॉलेज, पिहोवा | 2016-17 | 3.23 |
| | | 2017-18 | 3.70 |
| 32 | एस.एन.आर.एल. जय राम गर्ल्स कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र | 2016-17 | 0.68 |
| | | 2017-18 | 2.33 |
| 33 | आर.के.डी.ए.वी. कॉलेज, कैथल | 2016-17 | 5.57 |
| | | 2017-18 | 6.57 |
| 34 | आई.जी. महिला महाविद्यालय., कैथल | 2016-17 | 1.13 |
| | | 2017-18 | 1.26 |
| 35 | डी.ए.वी. कॉलेज, पुंडरी | 2016-17 | 1.82 |
| | | 2017-18 | 1.80 |
| 36 | सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुंडरी | 2016-17 | 2.83 |
| | | 2017-18 | 3.53 |
| 37 | बी.ए.आर. जनता कॉलेज कौल, कैथल | 2016-17 | 2.02 |
| | | 2017-18 | 2.08 |
| 38 | डी.ए.वी. कॉलेज, चीका | 2016-17 | 2.65 |
| | | 2017-18 | 2.75 |
| 39 | सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढंड डडवान, कैथल | 2016-17 | 2.54 |
| | | 2017-18 | 3.53 |
| 40 | एम.एम. कॉलेज, फतेहाबाद | 2017-18 | 3.28 |
| 41 | सी.एम.के. नेशनल गर्ल्स कॉलेज, सिरसा | 2016-17 | 2.40 |
| | | 2017-18 | 3.41 |
| 42 | गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा | 2016-17 | 1.20 |
| | | 2017-18 | 1.49 |
| 43 | एम.पी. लड़कियों के लिए कॉलेज, डबवाली | 2016-17 | 1.87 |
| | | 2017-18 | 2.51 |
| 44 | बी.एस.के. शिक्षा कॉलेज, मंडी डबवाली | 2016-17 | 0.58 |
| | | 2017-18 | 0.97 |
| 45 | सी.आर.एम. जाट कॉलेज, हिसार | 2016-17 | 5.29 |
| | | 2017-18 | 6.30 |
| 46 | डी.एन. कॉलेज, हिसार | 2016-17 | 4.97 |
| | | 2017-18 | 8.38 |
| 47 | एफ.सी. कॉलेज फॉर विमेन, हिसार | 2016-17 | 3.10 |
| | | 2017-18 | 2.85 |
| 48 | सी.आर. शिक्षा कॉलेज, हिसार | 2016-17 | 1.21 |
| | | 2017-18 | 1.51 |
| 49 | डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, हांसी | 2016-17 | 1.08 |
| | | 2017-18 | 1.22 |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान |
|----------|--|-------------------------------------|----------------|
| | सहायता प्राप्त निजी कॉलेज | | |
| 50 | सी.आर.ए. कॉलेज, सोनीपत | 2016-17 | 3.47 |
| | | 2017-18 | 3.40 |
| 51 | हिंदू कॉलेज, सोनीपत | 2016-17 | 5.21 |
| | | 2017-18 | 6.80 |
| 52 | हिंदू गर्ल कॉलेज, सोनीपत | 2016-17 | 5.56 |
| | | 2017-18 | 7.58 |
| 53 | टी.आर. शिक्षा कॉलेज, सोनीपत | 2016-17 | 0.75 |
| | | 2017-18 | 1.07 |
| 54 | गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत | 2016-17 | 5.38 |
| | | 2017-18 | 8.12 |
| 55 | टी.आर. गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत | 2016-17 | 1.59 |
| | | 2017-18 | 1.73 |
| 56 | कन्या महाविद्यालय, खरखौदा, सोनीपत | 2016-17 | 1.47 |
| | | 2017-18 | 2.24 |
| 57 | वैश्य कॉलेज, भिवानी | 2016-17 | 4.69 |
| | | 2017-18 | 6.08 |
| 58 | आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी | 2016-17 | 3.76 |
| | | 2017-18 | 4.56 |
| 59 | जे.वी.एम. जी.आर.आर. कॉलेज, चरकरी दादरी | 2016-17 | 3.97 |
| | | 2017-18 | 5.80 |
| 60 | ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी | 2016-17 | |
| | | 2017-18 | 1.50 |
| 61 | बी.एल.जे. सुइवाला कॉलेज, तोशाम | 2016-17 | 1.80 |
| | | 2017-18 | 2.54 |
| 62 | महिला महाविद्यालय, झोझू कलां, भिवानी | 2016-17 | 0.73 |
| | | 2017-18 | 1.02 |
| 63 | वाई.एम. डिग्री कॉलेज, नूंह | 2016-17 | 0.99 |
| | | 2017-18 | 1.72 |
| 64 | निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज, सोहना, गुरुग्राम | 2016-17 | 1.53 |
| | | 2017-18 | 1.72 |
| 65 | आर.एस.एल. शिक्षा कॉलेज, सिधरावली, गुरुग्राम | 2016-17 | 1.29 |
| | | 2017-18 | 1.58 |
| 66 | वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़ | 2016-17 | 0.94 |
| | | 2017-18 | 2.42 |
| 67 | एम.ए. महिला कॉलेज, झज्जर | 2016-17 | 2.19 |
| | | 2017-18 | 3.41 |
| 68 | जी.जी.डी.डी.ए.वी. कॉलेज, पलवल | 2016-17 | 3.85 |
| | | 2017-18 | 5.86 |
| 69 | अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़ | 2016-17 | 2.95 |
| | | 2017-18 | 3.87 |
| 70 | डी.ए.वी. सेंटनरी कॉलेज, फरीदाबाद | 2016-17 | 2.63 |
| | | 2017-18 | 4.31 |
| 71 | सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल | 2016-17 | 1.75 |
| | | 2017-18 | 2.98 |
| 72 | के.एल.पी. कॉलेज, रेवाड़ी | 2016-17 | 5.58 |
| | | 2017-18 | 8.71 |
| 73 | एस.पी. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी | 2016-17 | 0.85 |
| | | 2017-18 | 0.66 |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान |
|------------|--|-------------------------------------|----------------|
| | सहायता प्राप्त निजी कॉलेज | | |
| 74 | अहीर कॉलेज, रेवाड़ी | 2016-17 | 2.98 |
| | | 2017-18 | 3.79 |
| 75 | आर.बी.एस. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी | 2016-17 | 0.42 |
| | | 2017-18 | 0.58 |
| 76 | आर.डी.एस. पब्लिक गर्ल्स कॉलेज, रेवाड़ी | 2016-17 | 2.58 |
| | | 2017-18 | 4.46 |
| 77 | डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, कोसली, रेवाड़ी | 2016-17 | 0.61 |
| | | 2017-18 | 0.73 |
| 78 | ऑल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज, रोहतक | 2016-17 | 10.38 |
| | | 2017-18 | 15.17 |
| 79 | जी.बी. डिग्री कॉलेज, रोहतक | 2016-17 | 1.82 |
| | | 2017-18 | 3.25 |
| 80 | श्री एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक | 2016-17 | 1.88 |
| | | 2017-18 | 2.68 |
| 81 | वैश्य कॉलेज, रोहतक | 2016-17 | 3.61 |
| | | 2017-18 | 5.76 |
| 82 | जी.बी. शिक्षा कॉलेज, रोहतक | 2016-17 | 0.63 |
| 83 | वैश्य शिक्षा कॉलेज, रोहतक | 2016-17 | 0.63 |
| | | 2017-18 | 1.04 |
| 84 | वैश्य गर्ल्स कॉलेज, रोहतक | 2016-17 | 2.84 |
| | | 2017-18 | 3.36 |
| 85 | एस.जे.के. कॉलेज, कलानौर, रोहतक | 2017-18 | 3.31 |
| 86 | सी.आर. शिक्षा कॉलेज, रोहतक | 2016-17 | 1.17 |
| | | 2017-18 | 1.81 |
| 87 | एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक | 2016-17 | 3.28 |
| | | 2017-18 | 3.54 |
| कुल | | | 520.64 |

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 69)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

| क्र. सं. | निकाय का नाम | नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि | वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए | वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं | लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2019 तक) |
|----------|--|---|--------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 1 | हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, पंचकूला | 2017-18 से 2021-22 | 2016-17 | 2016-17 | 2014-15 | 2017-18 | एक वर्ष |
| 2 | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ | 2018-19 से 2022-23 | 2017-18 | 2017-18 | 2017-18 | -- | -- |
| 3 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.), पंचकुला | 2017-18 से 2021-22 | 2017-18 | 2015-16 | 2014-15 | -- | -- |
| 4 | हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला | 2014-15 से 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | -- | -- |
| 5 | हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला | 2015-16 से 2019-20 | 2017-18 | 2017-18 | 2015-16 | -- | -- |
| 6 | हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी | 2018-19 से 2022-23 | 2017-18 | 2017-18 | प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं | -- | -- |
| 7 | हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़ | कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है। | 2015-16 | 2015-16 | 2013-14 | 2016-17 व 2017-18 | दो वर्ष |
| 8 | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), भिवानी | -सम- | 2017-18 | 2016-17 | 1996-97 | -- | -- |
| 9 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, फरीदाबाद | -सम- | 2017-18 | 2016-17 | 1996-97 | -- | -- |
| 10 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, फतेहाबाद | -सम- | 2017-18 | 2015-16 | 1996-97 | -- | -- |
| 11 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, गुरुग्राम | -सम- | 2016-17 | 2016-17 | 1996-97 | 2017-18 | एक वर्ष |
| 12 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, झज्जर | -सम- | 2016-17 | - | 2011-12 | 2017-18 | एक वर्ष ¹ |
| 13 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, कैथल | -सम- | 2017-18 | 2016-17 | 1996-97 | -- | -- |
| 14 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, पंचकूला | -सम- | 2017-18 | 2015-16 | 1999-2000 | -- | -- |
| 15 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, पानीपत | -सम- | 2016-17 | 2016-17 | 1996-97 | 2017-18 | एक वर्ष |
| 16 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, रेवाड़ी | -सम- | 2017-18 | 2015-16 | 1996-97 | -- | -- |

¹ निकाय द्वारा वर्ष 1996-97 से 2010-11 तक के वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

| क्र. सं. | निकाय का नाम | नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि | वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए | वर्ष जिसके लिए लेखे देय है | लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (30 जून 2019 तक) |
|----------|--|---|--------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 17 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, रोहतक | कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है। | 2017-18 | 2016-17 | 1996-97 | - | - |
| 18 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, सोनीपत | -सम- | 2017-18 | 2015-16 | 1996-97 | -- | -- |
| 19 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, यमुनानगर | -सम- | 2015-16 | 2015-16 | 1996-97 | 2016-17 व 2017-18 | दो वर्ष |
| 20 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, हिसार | -सम- | 2017-18 | 2015-16 | 1996-97 | -- | -- |
| 21 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, नारनौल | -सम- | 2017-18 | 2016-17 | 1996-97 | -- | -- |
| 22 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, सिरसा | -सम- | 2017-18 | 2017-18 | 1996-97 | -- | -- |
| 23 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, अंबाला | -सम- | 2017-18 | 2016-17 | 1996-97 | -- | -- |
| 24 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, जींद | -सम- | 2016-17 | 2016-17 | 1996-97 | 2017-18 | एक वर्ष |
| 25 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, करनाल | -सम- | 2017-18 | 2016-17 | 1996-97 | -- | -- |
| 26 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, कुरुक्षेत्र | -सम- | 2017-18 | 2016-17 | 1996-97 | -- | -- |
| 27 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, मेवात (नूंह) | -सम- | 2017-18 | 2014-15 | 2009-10 | -- | -- |
| 28 | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा, पलवल | -सम- | 2017-18 | 2016-17 | 2012-13 | -- | -- |
| 29 | हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़ | -सम- | 2017-18 | 2016-17 | 2008-09 | -- | -- |
| 30 | हरियाणा विद्युत नियामक आयोग | -सम- | 2017-18 | 2017-18 | 2015-16 | -- | -- |

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 70)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

| क्र. सं. | विभाग | विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम | तक लेखे अन्तिमकृत किए गए | पिछले अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में) | लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण |
|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--|
| 1 | कृषि | बीज डिपो स्कीम ² | 1988-89 | - | 1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं। |
| 2 | कृषि | कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण | 1986-87 | 0.82 | विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् कीटनाशकों/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था। |
| 3 | मुद्रण एवं स्टेशनरी | राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम | 2007-08 | 17.97 | - |
| 4 | खाद्य एवं आपूर्ति | अनाज आपूर्ति स्कीम | 2015-16 | 6,908.27 | - |
| 5 | परिवहन | हरियाणा रोडवेज | 2014-15 | 1,186.24 | स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ |
| कुल | | | | 8,113.30 | |

² ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 70)

दुरुपयोग, गबन इत्यादि के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन, जिनमें अन्तिम कार्रवाई
30 जून 2019 तक लम्बित थी

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

| क्र. सं. | विभाग का नाम | 5 वर्षों तक | 5 से 10 वर्ष | 10 से 15 वर्ष | 15 से 20 वर्ष तक | 20 से 25 वर्ष तक | 25 वर्ष तथा अधिक | कुल |
|----------|---|-----------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | पंचायत का विकास | 0 | 0 | 1 (6.50) | 0 | 0 | 0 | 1 (6.50) |
| 2 | पशुपालन और डेयरी | 1 (0.08) | - | - | - | - | - | 1 (0.08) |
| 3 | आर्थिक और सांख्यिकीय | 2 (0.03) | - | - | - | - | - | 2 (0.03) |
| 4 | शिक्षा | 15 (34.72) | - | 1 (0.09) | 3 (1.11) | - | 3 (2.04) | 22 (37.96) |
| 5 | वन विभाग | 1 (0.25) | - | - | - | - | - | 1 (0.25) |
| 6 | हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण | 2 (0.87) | - | - | - | - | - | 2 (0.87) |
| 7 | श्रम एवं रोजगार | 2 (0.15) | - | - | - | - | - | 2 (0.15) |
| 8 | चिकित्सा | 2 (0) ³ | - | - | - | - | - | 2 (0) |
| 9 | चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान | 1 (3.00) | - | - | - | - | - | 1 (3.00) |
| 10 | पुलिस | - | - | 1 (3.79) | - | - | - | 1 (3.79) |
| 11 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता | 3 (8.63) | - | - | - | - | - | 3 (8.63) |
| 12 | खेल एवं युवा कल्याण | 1 (39.58) | - | - | - | - | - | 1 (39.58) |
| 13 | तकनीकी शिक्षा | - | - | - | 1 (6.52) | - | - | 1 (6.52) |
| 14 | नगर एवं ग्राम आयोजना | 1 (1.44) | - | - | - | - | - | 1 (1.44) |
| 15 | परिवहन | - | - | - | 1 (3.17) | - | 1 (0.60) | 2 (3.77) |
| 16 | खजाना एवं लेखा | 1 (6.27) | - | - | - | - | - | 1 (6.27) |
| 17 | महिला एवं बाल विकास | 1 (0) ¹ | - | - | - | - | - | 1 (0) |
| 18 | सिंचाई | 0 | 3 (0.00) | 7 (5.62) | 2 (0.00) | 3 (0.24) | 12 (1.07) | 27 (6.93) |
| 19 | जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग | 1 (0.35) | 1 (1.61) | - | - | - | - | 2 (1.96) |
| 20 | भवन एवं सड़कें | 1 (0.00) | - | - | - | - | - | 1 (0.00) |
| | कुल | 35 (95.37) | 4 (1.61) | 10 (16.00) | 7 (10.80) | 3 (0.24) | 16 (3.71) | 75 (127.73) |

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 70)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुरुपयोग/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे

(₹ लाख में)

| विभाग का नाम | चोरी के मामले | | सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि | | योग | |
|---|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | मामलों की संख्या | राशि (₹ लाख में) | मामलों की संख्या | राशि (₹ लाख में) | मामलों की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
| विकास एवं पंचायत | 1 | 6.50 | - | - | 1 | 6.50 |
| पशुपालन और डेयरी | 1 | 0.08 | - | - | 1 | 0.08 |
| आर्थिक और सांख्यिकीय | 1 | 0.03 | 1 | 0.00 | 2 | 0.03 |
| शिक्षा | 19 | 36.57 | 3 | 1.39 | 22 | 37.96 |
| वन विभाग | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 |
| हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण | 2 | 0.87 | - | - | 2 | 0.87 |
| श्रम एवं रोजगार | 2 | 0.15 | - | - | 2 | 0.15 |
| चिकित्सा | 2 | 0.00 | - | - | 2 | 0.00 |
| चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान | 1 | 3.00 | - | - | 1 | 3.00 |
| पुलिस | - | - | 1 | 3.79 | 1 | 3.79 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | 3 | 8.63 | - | - | 3 | 8.63 |
| खेल एवं युवा कल्याण | 1 | 39.58 | - | - | 1 | 39.58 |
| तकनीकी शिक्षा | 1 | 6.52 | - | - | 1 | 6.52 |
| नगर एवं ग्राम आयोजना | - | - | 1 | 1.44 | 1 | 1.44 |
| परिवहन | - | - | 2 | 3.77 | 2 | 3.77 |
| खजाना एवं लेखा | - | - | 1 | 6.27 | 1 | 6.27 |
| महिला एवं बाल विकास | 1 | 0.00 | - | - | 1 | 0.00 |
| सिंचाई | 22 | 6.61 | 5 | 0.32 | 27 | 6.93 |
| जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग | 2 | 1.96 | - | - | 2 | 1.96 |
| भवन एवं सड़कें | - | - | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| कुल | 60 | 110.75 | 15 | 16.98 | 75 | 127.73 |